

UPFD010069222017



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0001776/2017

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

शैलेन्द्र कुमार पुत्र राजवीर सिंह, निवासी श्याम नगर, थाना सिरसागंज,
जिला फिरोजाबाद।

-----अभियुक्त।

मु०अ०सं०-359/2017

धारा-452, 354 भा०दं०सं० व

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

-: निर्णय :-

1- पुलिस थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-359/2017 में अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा - 452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-6 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के साथ छेड़छाड़ होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध-2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु

पी०एस०टी० सं०-1776/2017, सरकार बनाम शैलेन्द्र कुमार, मु०अ०सं०-359/2017, धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 2

निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (एस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी दीपक कुमार पुत्र श्री रामबाबू, श्याम नगर, थाना सिरसागंज का रहने वाला है। आज दिनांक 20-02-2017 को समय लगभग 01:00 बजे रात्रि वादी की बहन/पीड़िता (एस) व परिवार के अन्य सदस्य घर में सो रहे थे, तो शैलेन्द्र पुत्र राजवीर, जो कि वादी के चाचा का लड़का है, ने वादी के घर में आकर वादी की बहन/पीड़िता (एस) के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे पीड़िता (एस) ने शोर किया, शोरगुल की आवाज सुनकर हम लोग जाग गये तो शैलेन्द्र भाग गया।

4- वादी दीपक कुमार द्वारा दी गयी उक्त तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या-359/2017 पर धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेन्द्र के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 में किया गया।

5- विवेचना धर्मपाल सिंह, उ०नि० द्वारा की गयी। इसके पश्चात् विवेचना सतेन्द्र पाल सिंह, उ०नि० द्वारा की गयी, जिन्होंने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन किया। वादी, पीड़िता एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 बनाया। पीड़िता (एस) का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया और सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्श क-6 न्यायालय में प्रस्तुत किया।

6- अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को विचारण के लिए आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयीं तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 06-11-2018 को अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण की माँग की गयी। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये गये।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	दीपक कुमार (वादी)	तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (एस)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-3	श्रीमती नीलम	--
पी०डब्लू०-4	खुशबू	--
पी०डब्लू०-5	हैड कां० महेश कुमार पाराशर	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4
पी०डब्लू०-6	सतेन्द्र पाल सिंह (विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-7	डा० शशीकान्त गुप्ता	पीड़िता (एस) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-7 व आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2 व 3

8- पी०डब्लू०-1 वादी दीपक कुमार ने कहा है कि घटना दिनांक 20-02-2017 को, मेरे घर की, रात्रि एक बजे की है। मेरी बहन/ पीड़िता (एस) घर में अन्य परिवारीजनों के साथ सो रही थी, तभी शैलेन्द्र पुत्र राजवीर, निवासी श्याम नगर, जो कि मेरे चाचा का लड़का है, ने मेरी बहन/पीड़िता (एस) के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी करने पर पीड़िता (एस) ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर हम लोग जाग गये, तब शैलेन्द्र ने भागना शुरू कर दिया। घटना के समय पीड़िता (एस) की उम्र साढ़े चौदह वर्ष थी। घटना की तहरीर मैंने स्वयं लिखकर थाने में दी थी, जो पत्रावली पर दाखिल है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एस) ने कहा है कि घटना करीब साढ़े पांच साल पहले रात्रि 10:00 बजे की है। मेरे घर में शैलेन्द्र आया था। शैलेन्द्र मेरे कपड़े उतारने लगा, तब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। मेरे चिल्लाने पर मेरा भाई दीपक आ गये थे। घटना के समय मैं 15 वर्ष की थी। मेरा पुलिस ने घटना के संबंध में बयान लिया था। पुलिस ने मेरा बयान अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया था। न्यायालय के आदेश से

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 4

गवाह को बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने इस पर लगे फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की और कहा कि ये बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान में अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एस) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में कहा है कि -

घटना दिनांक 20-02-2017, समय 10:00 बजे रात की है। शैलेन्द्र मेरे घर में चोरी से घुस आया। वह आकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर पर मेरा भाई दीपक, बहन नीलम आ गये। इस पर वह भाग गया।

11- पी०डब्लू०-3 श्रीमती नीलम ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक 20-07-2017, रात के 12:00 बजे की है। मैं और मेरी बहन/पीड़िता (एस) कमरे में अलग-अलग चारपाई पर सो रहे थे। रात में मेरे चाचा का लड़का शैलेन्द्र पुत्र राजवीर सिंह मेरे घर पर आया, मेरी बहन/पीड़िता (एस) के साथ छेड़छाड़ की। उसने शोर किया तो शोर सुनकर मैं जागी थी तो मैंने देखा कि शैलेन्द्र खड़ा है। दूसरे कमरे में मेरे भाई दीपक और मेरी भाभी खुशबू थी। शोर सुनकर वह भी जाग गये। जैसे ही मेरे भाई और मेरी भाभी पकड़ने आयी थी, तभी शैलेन्द्र भाग गया था। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

12- पी०डब्लू०-4 खुशबू ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक 20-07-2017 रात्रि की है। मैं और मेरे पति अन्दर कमरे में सो रहे थे। मेरी ननद/पीड़िता (एस) के साथ मेरी बड़ी ननद नीलम दूसरे कमरे में सो रही थीं। मेरे सास, ससुर शादी में गये थे। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। रात करीब 01:00 बजे मेरे घर में शैलेन्द्र आया था। शैलेन्द्र ने पीड़िता (एस) के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता (एस) ननद चिल्लाई, तब हम लोग भागे। मैं और मेरे पति व नीलम पकड़ने के लिए भागे तो शैलेन्द्र भाग गया। शैलेन्द्र को भागते हुए मैंने व मेरे पति, ननद नीलम ने देखा था।

13- पी०डब्लू०-5 हैड कां० महेश कुमार पाराशर ने कहा है कि दिनांक 20-02-2017 को मैं थाना सिरसागंज पर बतौर सी०सी० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी दीपक कुमार पुत्र रामबाबू की तहरीर के आधार पर मु०अ० सं०-359/2017, धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट बनाम शैलेन्द्र पंजीकृत किया गया था। चिक

पी०एस०टी० सं०-1776/2017, सरकार बनाम शैलेन्द्र कुमार, मु०अ०सं०-359/2017, धारा-452, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

एफ०आई०आर० मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाइप की गई थी, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर थाने की मुहर लगी है तथा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। उक्त मुकदमा का खुलासा मेरे द्वारा जी०डी० संख्या-12, समय 08:20 बजे, दिनांक 20-02-2017 को किया गया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-6 सतेन्द्र पाल सिंह, से०नि० उ०नि० ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा है कि दिनांक 20-02-2017 को मैं थाना सिरसागंज पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा दीपक कुमार पुत्र रामबाबू, निवासी श्याम नगर, थाना सिरसागंज की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या-359/2017, धारा-452, 354 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम शैलेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह को सुपुर्द हुई थी। इनके बाद दिनांक 22-03-2017 को उक्त अभियोग की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी।

15- मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन किया। दौरान विवेचना वादी, पीड़िता एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार का बयान अंकित किया। पीड़िता (एस) का प्रस्थान प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्राप्त की, जिसमें पीड़िता (एस) की जन्मतिथि 10-01-2003 अंकित है तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा-452, 354 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

16- पी०डब्लू०-7 डा० शशीकान्त गुप्ता ने कहा कि दिनांक 25-02-2017 को बतौर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन पीड़िता (एस) पुत्री रामबाबू, निवासी श्याम नगर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद का मैंने एक्सरे परीक्षण एक्सरे टेक्नीशियन से कराया था, जिसे सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा सन्दर्भित किया गया था और महिला होमगार्ड कुसुम, थाना सिरसागंज लेकर आयी थी। पीड़िता (एस) के पांच भागों के एक्सरे किये थे। एक्सरे दायी कोहनी के जोड़ की हड्डियों के एपीफाइसिस अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े थे। दांये घुटने, दांयी कलाई, कूल्हे की एलियक हड्डी व कॉलर

बोन के मध्य भाग इन सभी की एपीफाइसिस जुड़े नहीं थे। एक्सरे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर पीड़िता (एस) के दाहिने अंगूठे की निशानी को मैंने प्रमाणित किया है, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ।

17- साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि सी०एम०ओ० फिरोजाबाद द्वारा गठित बोर्ड में, मैं भी सदस्य था। आयु प्रमाणपत्र पर एक्सरे रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी गई है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। आयु निर्धारण प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद है। बोर्ड द्वारा पीड़िता की आयु लगभग 15 वर्ष निर्धारित की गयी थी, जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्शक-7 व पीड़िता का आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक-8 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्शक-1, 2, 3 को साबित किया है।

18- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

19- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 31-05-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत एवं झूठा बताया। गवाहन द्वारा गलत एवं झूठी गवाही देना, गलत व झूठ प्रपत्र साबित करना, वादी के कहने पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया जाना, निष्पक्ष विवेचना न करना तथा वादी से मिलकर झूठी मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना कहा तथा अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा रंजिशन चलना कहा। विशेष कथन में कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे झूठा फंसाया गया है।

20- अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु सफाई में कोई भी मौखिक/प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया।

21- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

22- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

23- धारा-452 भारतीय दण्ड संहिता - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार - जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके

गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

24- धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

25- धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 - लैंगिक हमला - जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

26- धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 - लैंगिक हमले के लिए दंड - जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

27- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

28- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

29- अवलोकनीय यह भी है कि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-2(घ) में "बालक"** को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

30- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 262 एवं गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631 के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत अपचारी किशोर मामलों का निस्तारण घटना के समय प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

31- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

32- पी०डब्लू०-1 दीपक कुमार ने तहरीर प्रदर्शक-1 में पीड़िता (एस) की उम्र अंकित नहीं की है। वादी दीपक ने न्यायालय में दिये बयान में तहरीर का समर्थन करते हुए कहा कि घटना दिनांक 20-02-2017 मेरी बहन की उम्र साढ़े चौदह वर्ष थी। साक्षी ने जिरह के पृष्ठ सं०-4 की प्रथम पंक्ति में कहा कि मेरी बहन घटना के समय पढ़ती थी। शायद कक्षा-6 में प्रेमकन्या जू०हा० स्कूल, सिरसागंज में पढ़ती थी। बस उसी कक्षा तक पढ़ी है। मैंने कक्षा-6 का कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया था और प्रमाणपत्र इसलिए नहीं दिया था, क्योंकि कक्षा-6 में दो-चार दिन ही गयी थी। प्रवेश फार्म भरा गया था। प्रवेश फार्म में जन्मतिथि भी भरी गयी थी।

33- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एस) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० एवं मुख्य परीक्षा में घटना के समय अपनी उम्र 15 वर्ष, शिक्षा 5 वी पास बताई है, जबकि बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है। जिरह के पृष्ठ सं०-4 के द्वितीय पैरा में कहा कि मैं घटना के समय पढ़ती नहीं थी। उससे पहले भी नहीं पढ़ी थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जबकि पीड़िता के पिता पी०डब्लू०-1 ने अपनी पुत्री/पीड़िता (एस) को कक्षा-6 में प्रेमकन्या जू०हा० स्कूल, सिरसागंज में पढ़ना कहा है। पत्रावली में कागज संख्या-12 ब/1 प्राथमिक विद्यालय, श्याम नगर का

प्रस्थान प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें पीड़िता द्वारा कक्षा-5 उत्तीर्ण होना कहा है और नाम काटने का कारण कक्षा-6 का न होना अंकित है। उक्त प्रस्थान प्रमाणपत्र में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 10-01-2003 अंकित है, जो पीड़िता के कथन के विपरीत है।

34- पी०डब्लू०-3 नीलम, पीड़िता (एस) की बहन एवं पी०डब्लू०-4 खुशबू, पीड़िता की भाभी, ने घटना के समय पीड़िता की आयु अथवा जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और ना ही इस बावत उक्त साक्षी से अभियुक्त पक्ष द्वारा जिरह में कोई प्रश्न किया गया है।

35- पी०डब्लू०-5 एच०सी० महेश कुमार पाराशर ने अपनी जिरह में कहा कि तहरीर में पीड़िता की उम्र भी अंकित नहीं है। पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किए जाने हेतु पीड़िता की उम्र का उल्लेख होना आवश्यक है। पीड़िता की उम्र का उल्लेख तहरीर में न होने के बावजूद मुकदमा मेरे द्वारा पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया था। पीड़िता की उम्र के संबंध में कोई जानकारी न होने के बावजूद भी मुकदमा पंजीकृत किया, इसकी मैं वजह नहीं बता सकता। तहरीर पर किसी उच्च अधिकारी का आदेश, मुकदमा दर्ज करने का नहीं था। मैंने बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के उसे पंजीकृत कर लिया था। वादी के साथ पीड़िता मेरे समक्ष थाने पर नहीं आई थी। मुकदमा कायम कराने वादी स्वयं अकेला आया था।

36- पी०डब्लू०-6 विवेचक सतेन्द्र पाल सिंह, उ०नि० ने मामले की विवेचना करते हुए केस डायरी के पर्चे किता किए। पीड़िता का प्रस्थान प्रमाणपत्र (लीविंग सर्टिफिकेट) की छायाप्रति पीड़िता से प्राप्त किया था, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 10-01-2003 अंकित है। साक्षी ने जिरह में कहा कि विवेचना के लिए पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरी व नकल चिक, नकल रपट, पीड़िता की उम्र के संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की थी। वादी तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस तहरीर में पीड़िता की कोई उम्र अंकित नहीं है। पीड़िता की उम्र के आधार पर, नाबालिग पाये जाने पर पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत होता है, लेकिन इस केस में उम्र की जानकारी हुए बिना, धारा-7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है, जो नियमानुसार गलत दर्ज हुआ है। जिरह के पृष्ठ सं०-5 की तीसरी पंक्ति में कहा कि विवेचना के समय वादी या पीड़िता ने मुझ विवेचक को आयु के संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया था। चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक, एक्सरे करने वाले चिकित्सक का बयान विवेचना के

दौरान मेरे द्वारा नहीं लिया गया।

37- पी०डब्लू०-7 डा० शशीकान्त गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट ने पीड़िता (एस) के पाँच भागों का एकसरे दिनांक 25-02-2017 को जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में किया था। एकसरे दांयी कोहनी के जोड़ों की हड्डियों के एपीफाइसिस अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े थे। एकसरे दांये घुटने, एकसरे दांयी कलाई, एकसरे कूल्हे की इलियक हड्डी और एकसरे कॉलर वोन के मध्य भाग का - इन सभी की एपीफाइसिस जुड़ी नहीं थीं। एकसरे रिपोर्ट पर प्रदर्श क-7 और सी०एम०ओ० द्वारा जारी आयु निर्धारण प्रमाणपत्र पर प्रदर्श क-8 तथा पीड़िता की तीन एकसरे प्लेटों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1, 2, 3 डाला गया, जिसे साक्षी ने साबित किया है।

38- साक्षी ने जिरह में कहा कि एपीयरेंस ऑफ फ्यूजन बच्चे के गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था 100 वर्ष तक चलती है, अर्थात् मृत्यु तक रहती है। एल्बो और कलाई का फ्यूजन लगभग 15 वर्ष में व कलाई का 18-19 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। इस केस की पीड़िता के एल्बो के जोड़ 15 वर्ष की आयु में फ्यूज हो चुके थे। आज पीड़िता मेरे सामने न्यायालय में नहीं है और मैं पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पहचानता हूँ।

39- आयु निर्धारण हेतु गठित बोर्ड की मीटिंग सी०एम०ओ० कार्यालय में दिनांक 27-02-2017 को हुई थी। सी०एम०ओ० की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि पीड़िता, बोर्ड के समक्ष पेश हुई थी या नहीं? प्रदर्श क-7 में मैंने, पीड़िता के नाम-पते के आगे उसकी उम्र का उल्लेख नहीं किया है। पीड़िता से उसकी उम्र भी मैंने नहीं पूछी थी। आयु निर्धारण एक साल का अन्तराल ऊपर-नीचे हो सकता है। मैं, मोदी के ज्यूरिस्पूडेंस पर विश्वास करता हूँ। मोदी के ज्यूरिस्पूडेंस में दो साल का अन्तराल ऊपर-नीचे रहता है। साक्षी ने अभियुक्त के इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने पीड़िता व उसके परिजनों से मिलकर, कागज गलत रूप से साबित करते हुए झूठी रिपोर्ट तैयार की है।

40- पीड़िता (एस) की आयु का निर्धारण **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)

अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

41 - आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

42- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (एस) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

43- अभियोजन ने पत्रावली में पीड़िता की शिक्षा के सन्दर्भ में कागज संख्या-12 ब/1 को छोड़कर कोई प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। विवेचक ने विवेचना के दौरान वादी अथवा पीड़िता द्वारा शिक्षा संबंधी कोई प्रमाणपत्र देना नहीं कहा है। कागज संख्या-12 ब/1 प्रस्थान प्रमाणपत्र पीड़िता की शिक्षा/आयु से संबंधित है, जिसे अभियोजन ने उसे निष्पादित करने वाले प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार से प्रमाणित नहीं कराया है।

44- पत्रावली पर दाखिल प्रदर्श क-8 सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष है। यदि पीड़िता की उम्र में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था अनुसार दो वर्ष जोड़ दिये जाएं तो भी पीड़ित की अधिकतम उम्र 17 वर्ष होगी। दोनों परिस्थिति में पीड़िता 18 वर्ष से कम नाबालिग है। उक्त शैक्षिक प्रपत्र के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 10-01-2003 है और वह घटना दिनांक 20-02-2017 को 14 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की नाबालिग थी।

45- पी०डब्लू०-1 वादी दीपक ने तहरीर प्रदर्श क-1 में घटना दिनांक 20-02-2017 रात्रि 01:00 बजे जब परिवार के सदस्य सो रहे थे तो अपने चाचा के लड़के शैलेन्द्र द्वारा घर में घुस कर अपनी बहन/पीड़िता (एस) के साथ छेड़छाड़ करना कहा है और शोरगुल की आवाज सुनकर हम लोग जाग गये तो शैलेन्द्र भाग गया। वादी दीपक ने

बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये सशपथ बयान से तहरीर का समर्थन करते हुए जिरह में कहा कि घटना के दिन राम कुमार (भाई) व उसकी पत्नी मौजूद थे। मेरे माँ-बाप भी उस समय मौजूद थे। कथित घटना के दिन उपरोक्त सभी लोग घर में ही मौजूद थे। शैलेन्द्र का घर, एक घर छोड़कर है। शैलेन्द्र के घर हमारा आना जाना था, उसकी उम्र 22-23 साल होगी।

46- साक्षी ने कहा कि तहरीर मैंने खुद घर पर रात को 01:00 बजे लिखी थी, जबकि वादी ने घटना को भी रात 01:00 बजे होना कहा है, जब सब लोग सो रहे थे। तहरीर पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। तहरीर लिखने के बाद रात में ही थाने गये थे। थाना 04 कि०मी० दूर है। मैं, मेरी बहन व पत्नी खुशबू तीनों एक ही मोटर साइकिल पर थाने गये थे। थाने पहुंचने में करीब आधा घण्टा लगा था। तहरीर मैंने लेखक मुंशी को दी थी और उसी समय तीनों लोग घर लौट आये थे। उसके बाद फिर सुबह दुबारा थाने गये। थाने से हम दरोगा जी के साथ सरकारी अस्पताल, फिरोजाबाद गये थे। महिला डाक्टर ने डाक्टरी मुआयना 11:00 बजे दिन में किया था। मुझे ध्यान नहीं है कि महिला डाक्टर ने मेरे या मेरी पत्नी के किसी कागज पर हस्ताक्षर कराए थे या नहीं? मैंने अपनी रजामन्दी लिख दी थी कि मैं अपनी बहन का डाक्टरी मुआयना करा रहा हूँ, उसी के बाद डाक्टरी हुई थी।

47- साक्षी ने आगे कहा कि मेरे मकान का मुख्य दरवाजा लकड़ी का पश्चिम दिशा में है। यह दरवाजा रात को सोते समय बन्द हो जाता है। मकान में घुसने के लिए अन्य कोई दरवाजा नहीं है। इस दरवाजे के बाद अन्दर गैलरी व बरामदा है। बरामदे के पीछे कमरा है। इस कमरे में दो गेट हैं। एक गेट गैलरी में, दूसरा बरामदे में खुलता है। इसमें एक गेट लोहे का व अन्य लकड़ी का है। सोते समय दोनों दरवाजे बन्द करके सोते हैं। इसी कमरे में पीड़िता (एस) नहीं सो रही थी। आंगन के बाद बरामदा है, जिसके बाद कमरा है, उसमें पीड़िता सो रही थी। उस कमरे में पीड़िता अकेले सो रही थी। मैं और मेरी पत्नी खुशबू बाहर वाले कमरे में सो रहे थे, जिसमें दो दरवाजे हैं। घटना के समय सर्दी का मौसम था। मैं कम्बल ओढ़ कर सो रहा था।

48- मैंने शैलेन्द्र को घर में घुसते हुए नहीं देखा था। मैंने शैलेन्द्र को अपनी बहन के साथ छेड़खानी करते हुए नहीं देखा था। दरोगा जी ने मेरा बयान तब लिया था, जब वह नक्शा बनाने मेरे घर घटना के तीसरे दिन गये थे। मैंने दरोगा जी को अपने बयान में 12:00 बजे का समय नहीं बताया था, उन्होंने कैसे लिख दिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।

दरोगा जी ने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में मेरे माता-पिता का नाम क्यों नहीं लिखा है, इसकी मैं कोई वजह नहीं बता सकता। मैंने दरोगा जी को घटना के तीन दिन बाद मकान के अन्दर सभी जगह दिखा दी थी, उसी समय दरोगा जी ने नक्शा नजरी बनाया था। घटना वाले दिन मेरे घर में अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए दरोगा जी को मैंने रोशनी वाली बात नहीं बताई और ना ही तहरीर में लिखी।

49- शैलेन्द्र के पिता का प्लॉट मकान के पीछे नहीं है, आगे जाकर पीछे है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मैं व मेरे परिवार के लोग शैलेन्द्र के पिता से खाली प्लॉट को लेना चाहते हों और उनके मना करने पर यह लोग नाराज हो गये हों, इसी वजह से मैंने यह झूठा मुकदमा लिखाया है।

50- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एस) ने तहरीर व वादी के बयान का समर्थन किया, परन्तु घटना करीब साढ़े पाँच साल पहले की, रात्रि 10:00 बजे की होना कहा है, जबकि वादी ने अपने बयान एवं तहरीर में घटना का समय रात्रि 01:00 बजे होना कहा है। पीड़िता (एस) ने कहा कि शैलेन्द्र मेरे घर में आया था। शैलेन्द्र मेरे कपड़े उतारने लगा, तब मैं चिल्लाई तो वह भाग गया, जबकि वादी ने अपने बयान एवं तहरीर में अपनी पुत्री/पीड़िता (एस) के साथ छेड़छाड़ करना कहा है, परन्तु छेड़छाड़ कैसे की गयी, इसको तथ्य के किसी भी साक्षी ने बयान में उल्लिखित नहीं किया है, जबकि न्यायालय में बयान देते समय वादी एवं अन्य साक्षियों को पीड़िता के बताये अनुसार, घटना की पूरी जानकारी थी।

51- पीड़िता के चिल्लाने पर उसका भाई दीपक आ गया। साक्षी ने जिरह में कहा कि कथित घटना के समय परिवार में माता-पिता, दो बहनें थी तथा अकेले भाई दीपक थे, परन्तु वादी ने अपने बयान में माता-पिता व भाई व उसकी पत्नी को मौजूद होना कहा है, परन्तु दो बहनों के घटना के समय उपस्थित रहने के संबंध में कोई कथन अपने बयान में नहीं किया है।

52- साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि मेरी भाभी खुशबू थी, वह सो रही थी। सभी लोग सो रहे थे। किसी ने भी शैलेन्द्र को आते-जाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। मेरे माता-पिता बाहर बरामदे में सो रहे थे, जबकि वादी दीपक ने कहा कि उसके माता-पिता कमरे में सो रहे थे। भाई-भाभी बाहर के कमरे में सो रहे थे। मेरी बहन नीलम मेरे साथ कमरे में सो रही थी, जबकि वादी ने जिरह के पृष्ठ संख्या-3 की 7 वीं पंक्ति में कहा कि उसकी बहन पीड़िता उस कमरे में अकेली सो रही थी। सर्दी का मौसम था और बाहर का गेट खुला था और कमरे का

दरवाजा भी खुला था। रोज हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि बाहर का गेट और कमरे का दरवाजा हम लोग रोज बन्द करके सोते हैं। हम 09:00 बजे के लगभग सो चुके थे, उसके एक घण्टे बाद रात 10:00 बजे की घटना है, जबकि वादी ने तहरीर और अपने बयान में घटना रात्रि 01:00 बजे की होना कहा है। मैं जिस कमरे में सो रही थी, उसमें दो दरवाजे हैं, उसके बाद अन्दर बरामदे के आगे जो कमरा है, उसके आगे बरामदे में सो रहे थे, कमरे में नहीं सो रहे थे, जबकि पूर्व बयान और वादी ने कमरे में सोना कहा है।

53- पीड़िता ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 की अन्तिम चौथी लाइन में कहा कि इस घटना की रिपोर्ट करने में थाने नहीं गई थी, घर से ही फोन किया था, जबकि वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 की तीसरी पंक्ति में कहा कि तहरीर मैंने खुद उसी रात 01:00 बजे लिखी थी, जिस पर कोई तारीख नहीं डाली थी। तहरीर लिखने के बाद रात में ही थाने गये थे। मैं, मेरी बहन व पत्नी मोटर साइकिल से 4 कि०मी० दूर रिपोर्ट लिखाने थाने पर गये थे। दोनों कथनों में विरोधाभास है।

54- साक्षी ने जिरह में कहा कि उसी रात को 10:30 बजे पुलिस मेरे घर पर आ गयी थी। पुलिस वाले 3-4 लोग होंगे। यह फोन मेरे बड़े भाई दीपक ने अपने फोन से किया था। पुलिस हमारे यहाँ 11:00 बजे तक रुकी थी, वहीं पर पुलिस को रिपोर्ट दे दी थी। मेरे घर वाले तथा पुलिस वाले उसी समय शैलेन्द्र के घर तलाश करने गये थे, लेकिन शैलेन्द्र घर पर नहीं मिला। मेरे घर से शैलेन्द्र का घर एक घर की दूरी पर है, जबकि वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 की 10 वीं पंक्ति में कहा कि तहरीर मैंने मुंशी लेखक को थाने में, अपनी बहन व पत्नी के साथ जाकर दी थी।

55- पीड़िता (एस) ने जिरह में कहा कि मुझे पता नहीं है कि मेरे परिवार वालों का शैलेन्द्र के परिवार वालों से पहले से कोई झगडा चल रहा है अथवा नहीं। शैलेन्द्र के पिता का कोई खाली प्लॉट मेरे घर के पीछे या आगे जाकर पीछे की साइड नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि इसी रंजिश की वजह से शैलेन्द्र के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया हो।

56- पीड़िता (एस) ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 के अन्तिम पैरा में कहा कि यह कहना सही है कि मैं किसी थाने में नहीं गई थी, जबकि वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-2 की 13 वीं पंक्ति में कहा कि थाने से हम लोग दरोगा जी के साथ सरकारी अस्पताल, फिरोजाबाद डाक्टरी कराने गये थे। महिला डाक्टर ने डाक्टरी मुआइना किया था। अस्पताल में करीब आधा-पौन घण्टा रुके थे। मैंने अपनी मर्जी से लिखकर दिया था कि मैं

अपनी बहन का डाक्टरी मुआयना करा रहा हूँ। इसके बाद ही डाक्टरी मुआइना हुआ था।

57- पीड़िता ने आगे जिरह में कहा कि 25 तारीख को डाक्टरी कराने गये थे, तब थाने से होते हुए गये थे। मैं, मेरे पिता व भाई दीपक गये थे, जबकि वादी ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट लिखाने के दूसरे दिन सुबह फिर थाने गये थे, वहाँ से डाक्टरी कराने सरकारी अस्पताल गये थे। वादी कथनानुसार घटना दिनांक 20-02-2017 के दूसरे दिन दिनांक 21-02-2017 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराना और पीड़िता का मेडीकल कराना कहा है, जबकि इसके विपरीत पीड़िता ने कहा कि वह थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने कभी नहीं गयी। फिर कहा कि वह दिनांक 25 तारीख को जब मेडीकल कराने गयी थी, तो वह थाने पर होते हुए गये थे। उसके साथ उसके पिता और भाई दीपक भी था, जबकि वादी दीपक ने अपने बयान में कहा कि थाने जाते समय वह, पीड़िता और उसकी पत्नी खुशबू साथ थी, परन्तु अपने पिता को थाने पर रिपोर्ट लिखाने साथ ले जाना नहीं कहा है।

58- पीड़िता (एस) ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 के अन्तिम 7 वीं लाइन में कहा कि मेरा डाक्टरी मुआयना पुरुष डाक्टर ने किया था, जबकि वादी ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं०-2 के मध्य में कहा कि मेरी बहन का डाक्टरी मुआयना जिला महिला अस्पताल की महिला डाक्टर ने 11:00 बजे दिन में किया था। पीड़िता ने कहा कि मेरी सहमति के बाद ही मेरा डाक्टरी मुआयना हुआ था। मेरे पिता ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया या नहीं, मुझे नहीं मालूम, जबकि वादी ने सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना कहा है। वादी ने आधे घण्टे में डाक्टरी मुआयना होना कहा है, जबकि पीड़िता ने जिरह के पृष्ठ-3 की अन्तिम पंक्ति में कहा कि अस्पताल में दो घण्टे रुके थे, मुआयना हुआ था।

59- पीड़िता ने जिरह के पृष्ठ-4 की प्रथम पंक्ति में कहा कि जिस कमरे में सो रही थी, उस कमरे में लाईट नहीं जल रही थी और मकान के किसी भाग में भी लाईट नहीं जल रही थी। अंधेरा था, सर्दी का मौसम था। अंधेरा होने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उजाली रात थी। चन्द्रमा की रोशनी कमरे में नहीं आती है, लेकिन गैलरी में उजाला आता है। उस समय मेरे पास कोई मोबाइल या टार्च नहीं थी। वादी ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 की अन्तिम चौथी लाइन में कहा कि घटना वाले दिन मेरे घर में अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए मैंने दारोगा जी को कोई रोशनी वाली नहीं बताई थी और ना ही अपनी तहरीर में लिखी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि शैलेन्द्र ने उसके साथ

कोई घटना, घटित न की हो और वह उसे पारिवारिक रंजिश के कारण झूठी गवाही देकर फंसा रही है।

60- पी०डब्लू०-3 श्रीमती नीलम, पीड़िता (एस) की बहन ने कहा कि घटना दिनांक 20-07-2017 रात 12:00 बजे की है, जबकि वादी एवं पीड़िता ने घटना दिनांक 20-02-2017 की होना कहा है और घटना का समय वादी ने रात्रि 01:00 बजे और पीड़िता ने रात 10:00 बजे होना कहा है। नीलम ने कहा कि मेरी बहन के साथ शैलेन्द्र ने छेड़छाड़ की तो शोर सुनकर मैं जागी, तो मैंने देखा कि शैलेन्द्र खड़ा है। दूसरे कमरे में मेरे भाई दीपक और भाभी खुशबू थी। शोर सुनकर वह भी जाग गये थे। जैसे ही मेरे भाई और मेरी भाभी पकड़ने आयी, शैलेन्द्र भाग गया था। शैलेन्द्र को घटना स्थल पर पकड़ने का प्रयास करने का कथन पहली बार इस साक्षी द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन वादी और पीड़िता ने अपने बयान में नहीं किया है।

61- नीलम ने जिरह में कहा कि घटना के समय घर में मैं, मेरी बहन, मेरा भाई व मेरी भाभी थीं। मेरे माता-पिता उस दिन घर पर नहीं थे, जबकि वादी एवं पीड़िता ने अपने बयान में स्वीकार किया कि घटना वाले दिन उनके माता-पिता घर पर ही थे। नीलम ने जिरह में कहा कि मेरे भाई राम कुमार व उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। अगर कोई यह बात कहे कि उस दिन मेरे माता-पिता व भाई राम कुमार व उनकी पत्नी घर पर ही थे, तो वह झूठ बोलता है। मेरे माता-पिता दिन में उसी दिन मेरे मामा की शादी में तिलियानी कौरारा गये थे। माता-पिता के साथ मेरे छोटे भाई चन्द्र शेखर व गोविन्द भी गये थे, जबकि वादी ने अपने जिरह की पाँचवीं पंक्ति में कहा कि घटना के दिन राम कुमार व उनकी पत्नी घर में मौजूद थे। पीड़िता एवं उसकी भाभी खुशबू ने अपनी जिरह में कहा कि घटना के दिन राम कुमार घर पर मौजूद थे, लेकिन उनकी पत्नी की मौजूदगी एवं माता-पिता को मामा की शादी में तिलियानी कौरारा जाना नहीं कहा है। उपरोक्त तथ्य के संबंध में, तथ्य के सभी साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, जो अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय बनाते हैं।

62- नीलम ने जिरह में कहा कि शैलेन्द्र मेरे सगे चाचा का लड़का नहीं है। शैलेन्द्र के पिता का गाँव में एक प्लॉट था, उस प्लॉट को मेरे पिता खरीदना नहीं चाहते थे और शैलेन्द्र के पिता ने मना कर दिया, इसलिए नाराज होकर हम लोग रंजिश मानते हैं।

63- नीलम ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 की प्रथम पंक्ति में कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस घटना का समय रात्रि 10:00 बजे बताता है या

लिखाता है, तो वह गलत व झूठ है, जबकि वादी ने घटना का समय तहरीर व बयान में रात्रि 01:00 बजे और रात्रि 01:00 बजे घटना के होने से पूर्व ही तहरीर स्वयं अपने हाथ से लिखना कहा है। पीड़िता ने रात्रि 10:00 बजे घटना होना कहा है। इस साक्षी ने पीड़िता के साथ होने वाली घटना का समय 12:00 बजे और घटना का दिनांक 20-02-2017 के स्थान पर दिनांक 20-07-2017 होना कहा है, जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

64- नीलम ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 की तीसरी पंक्ति में कहा कि मकान के मुख्य बाहरी दरवाजे पर लकड़े के किवाड़ चढ़े हैं, फिर बरामदा है, बरामदे के बाद कमरा, कमरे के दो दरवाजे, जिनमें लकड़ी के किवाड़ चढ़े हैं, जबकि वादी एवं पीड़िता ने कमरे, बरामदा व किवाड़ों की बावत विरोधाभासी बयान दिये हैं, जिसका समर्थन पत्रावली में दाखिल नक्शा नजरी प्रदर्शक-5 से नहीं होता है।

65- नीलम ने शैलेन्द्र को घर में घुसते हुए तथा आते हुए नहीं देखा। वादी एवं पीड़िता ने भी शैलेन्द्र को घर में आते हुए देखना नहीं कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण, अभियुक्त के घर में घुसते हुए देखने के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। किसी साक्षी को नहीं मालूम कि शैलेन्द्र किस रास्ते से घर में आया और वापस गया था। नीलम ने जिरह में कहा कि मेरा भाई दीपक व भाभी खुशबू बराबर के कमरे में दरवाजा बन्द करके सो रहे थे और हम लोग भी दरवाजा बन्द करके सो रहे थे। उस समय सर्दी का मौसम था, इसलिए सब लोग रजाई ओढ़ कर सो रहे थे। घर के दरवाजे बन्द होने अथवा खुले होने के संबंध में तथ्य के सभी साक्षियों ने विरोधाभासी बयान दिये हैं।

66- वादी और पीड़िता ने घटना के समय सभी दरवाजे खुले होना कहा है, जबकि सर्दी का समय था और सब रजाई ओढ़ कर सो रहे थे, उस समय सभी दरवाजे खोल कर सोना अविश्वसनीय प्रतीत होता है, जबकि इन साक्षियों ने कहा कि घर के सभी दरवाजे बन्द थे, तो अभियुक्त किस प्रकार से घर में घुस आया, इसको किसी भी साक्षी अथवा विवेचक ने अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

67- नीलम ने जिरह में कहा कि मैंने और मेरे भाई-भाभी ने भी शैलेन्द्र को मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा है। जब शैलेन्द्र भाग गया था, उसके 2-3 मिनट बाद मेरा भाई दीपक और भाभी खुशबू आये थे। इस साक्षी के कथनानुसार इसके भाई दीपक और भाभी खुशबू ने शैलेन्द्र को मौके से भागते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा, परन्तु वादी दीपक ने अपने बयान में शैलेन्द्र को अपने सामने भागना कहा है।

68- पीड़िता के शोर मचाने पर गांव का कोई आदमी नहीं आया था। गांव वाले 5 मिनट बाद बाहर ही आये थे। सारे गांव के लोग करीब 30-35 लोग घर पर आये थे। घर के अन्दर घुस कर कोई नहीं आया, सब घर के बाहर ही खड़े रहे थे। यह लोग व मेरे घर के लोग, शैलेन्द्र के घर गये थे, लेकिन शैलेन्द्र घर पर नहीं मिला था, जबकि पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसी रात 10:30 बजे मेरे घर वाले तथा पुलिस वाले शैलेन्द्र के घर उसे तलाश करने गये थे। वादी ने अपने बयान में कहा कि शोर शराबा सुनकर गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर नहीं आया था, जबकि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि हमारे घर पहले पुलिस आयी थी, उसके 5 मिनट बाद गांव वाले आ गये थे। तथ्य के साक्षियों में से किसी ने भी गांव के किसी व्यक्ति का नाम अपने बयान में नहीं बताया है।

69- नीलम ने जिरह में कहा कि पुलिस दूसरे दिन, दिन में करीब 09:00 बजे हमारे घर पर आई थी, जबकि पीड़िता ने जिरह में कहा कि उसी रात घर से मेरे भाई दीपक ने थाने फोन करके पुलिस को बुलाया था, जबकि नीलम ने जिरह में कहा कि उसने फोन करके पुलिस को बुलाया था। दो पुलिस वाले आये थे, जबकि पीड़िता ने कहा कि 3-4 पुलिस वाले आये थे और वह 11:00 बजे तक रुके थे, जबकि नीलम ने जिरह में कहा कि पुलिस वाले मात्र 10 मिनट तक रुके थे, उसके बाद चले गये थे। पुलिस वालों को घटना के बारे में बताया था और वो लिखकर ले गये थे। पीड़िता ने कहा कि उसी रात 10:30 बजे पुलिस घर पर आयी थी, जबकि वादी ने जिरह में कहा कि तीन दिन बाद पुलिस मौके पर आई थी और उसने घटना स्थल का मुआयना किया था। घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने की बावत तीनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

70- नीलम ने यह स्वीकार किया कि मेरे वकील साहब ने मुझे बयान समझाया था, उसी के अनुसार आज मैं यह बयान दे रही हूँ।

71- पी०डब्लू०-4 खुशबू ने तथ्य के पूर्व साक्षियों के कथनों का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे सास-ससुर शादी में गये थे और घर का दरवाजा खुला हुआ था। रात्रि 01:00 बजे शैलेन्द्र घर में आया था। उसने पीड़िता से छेड़खानी की, वह चिल्लाई तो हम लोग जाग गये। जिरह में कहा कि हम लोग मकान का मुख्य दरवाजा सोते समय बन्द करते हैं। जिन कमरों में सोते हैं, उन कमरों के दरवाजे बन्द नहीं करते हैं। पूर्व तथ्य साक्षियों के कथनों में दरवाजा बन्द करने व खुले रहने की बावत परस्पर विरोधाभास है, जिसका विस्तृत वर्णन निर्णय में ऊपर किया जा चुका है।

72- खुशबू ने जिरह में कहा कि जब मैं अपने कमरे से निकल कर आई तो शैलेन्द्र मुख्य दरवाजे से भाग गया था। हम लोगों ने शैलेन्द्र का 100-200 कदम का पीछा किया था, शैलेन्द्र दिखाई नहीं पड़ा। शैलेन्द्र का 100-200 कदम तक पीछा करने वाले कथन का समर्थन किसी भी पूर्व साक्षी ने नहीं किया है।

73- खुशबू ने जिरह में कहा कि राम कुमार व उसकी पत्नी हमारे घर पर नहीं थे। चन्द्र शेखर व गोविन्द भी घर पर नहीं थे, शादी में गये थे। यदि कोई यह कहे कि उस दिन उपरोक्त लोग घर पर थे, तो वह लोग झूठ बोलते हैं, जबकि वादी एवं पीड़िता ने उपरोक्त लोगों को घटना के समय घर पर ही मौजूद होना कहा है। खुशबू ने जिरह में आगे कहा कि रात में मेरे पति ने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस रात में नहीं आयी थी, सुबह 10-11 बजे आयी थी और आधा-पौन घण्टा रुकी थी, उस समय मैं, मेरे पति व मेरी ननद घर पर ही थे। उसके बाद फिर पुलिस कभी हमारे घर पर नहीं आई, जबकि पीड़िता ने कहा कि उसके भाई के फोन करने पर पुलिस रात 10:30 बजे घर पर आ गयी थी और घर वालों के साथ शैलेन्द्र के घर उसे तलाश करने गयी थी। शैलेन्द्र घर पर नहीं मिला था।

74- वादी ने घटना का समय तहरीर व बयान में रात्रि 01:00 बजे, पीड़िता ने घटना का समय रात्रि 10:00 बजे और वादी की पत्नी खुशबू ने घटना का समय रात्रि 01:00 बजे बताया है, लेकिन नीलम, पीड़िता की बहन ने घटना का समय रात्रि 12:00 बजे होना कहा है, फिर किस प्रकार घटना घटने से पूर्व ही 10:30 बजे पुलिस, मुकदमा दर्ज होने से पहले मामले की तहकीकात करने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गयी। इस तथ्य को अभियोजन साक्षियों ने अपने बयानों में स्पष्ट नहीं किया है, जो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को काल्पनिक एवं संदेहास्पद बनाता है।

75- पी०डब्लू०-5 एच०सी० महेश पाराशर ने अपने बयान में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है कि तहरीर में पीड़िता की उम्र का उल्लेख न होने और पीड़िता का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय उपस्थित न होने के बावजूद, पीड़िता को देखे बिना मुकदमा इस साक्षी ने बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के, पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कैसे कर लिया? और उक्त केस की विवेचना एच०सी०पी० धर्मपाल को दे दी, जबकि नियमानुसार उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी पोक्सो एक्ट के मामले की विवेचना करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। विवेचक के कथनानुसार रिपोर्ट लिखाने /जी०डी० कायमी के अनुसार वादी दीपक अकेला ही तहरीर लेकर थाने पर मुकदमा कायमी के

लिए गया था। उसके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं गया था, जबकि वादी ने इसके विपरीत कथन किया है।

76- पी०डब्लू०-6 विवेचक सतेन्द्र पाल सिंह ने नक्शा नजरी व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और पीड़िता की उम्र के संबंध में मेडीकल क्यों कराया? जिसमें उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष अंकित है, जबकि विवेचक ने स्वयं पत्रावली में पीड़िता (एस) का प्रस्थान प्रमाणपत्र कक्षा-5 प्राथमिक विद्यालय, श्याम नगर की छायाप्रति दाखिल की है, जिसमें पीड़िता (एस) की जन्मतिथि दिनांक 10-01-2003 अंकित है और कक्षा-5 से आगे कक्षा स्कूल में न होना अंकित है। वादी कथनानुसार पीड़िता कक्षा-6 में प्रेमकन्या जू०हा० स्कूल, सिरसागंज में पढ़ रहीं थी और बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। विवेचक ने प्रेमकन्या जू०हा० स्कूल, सिरसागंज से पीड़िता की जन्मतिथि व आयु के संबंध में कोई प्रमाण पत्रावली में दाखिल क्यों नहीं किया और वादी ने भी तहरीर में पीड़िता की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उक्त स्कूल के प्रधानाचार्य को अभियोजन साक्षियों सूची में शामिल क्यों नहीं किया, इसको अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

77- अभियुक्त शैलेन्द्र, वादी पक्ष से पूर्व परिचित है, आपस में पडोसी हैं। पहले कोई घटना छेड़छाड़, घूरना, पीछा करना, तंग, परेशान आदि करना नहीं कहा तो अभियुक्त अचानक रात के 01:00 बजे कैसे किसी के घर में घुस कर इतनी बड़ी वारदात को, बिना वादी पक्ष के सहयोग के, अंजाम दे देगा, सभी दरवाजे घर के कैसे खुले पाये गये रात्रि 01:00 बजे, अविश्वसनीय है।

78- विवेचक ने जिरह के पृष्ठ सं०-5 की दूसरी पंक्ति में स्वीकार किया कि वादी या पीड़िता ने मुझ विवेचक को पीड़िता की आयु के संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया था और उन्होंने पीड़िता का एकसरे करने वाले व चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टरों के बयान भी केस डायरी में अंकित नहीं किये हैं। विवेचक ने घटना स्थल पर मौके के समय लाईट या प्रकाश के श्रोत की बावत कोई क्यों कथन नहीं किया और ना ही उसको नक्शा नजरी में प्रदर्शित किया है? विवेचक ने नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 में अभियुक्त के घर में घुसने का मार्ग प्रदर्शित किया है, परन्तु घर से भागते समय जाने का मार्ग प्रदर्शित नहीं किया है? विवेचक ने नक्शा नजरी में वादी के मकान में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, उनको प्रदर्शित नहीं किया है। अभियोजन ने द्वितीय विवेचक सतेन्द्र पाल सिंह, उ०नि० से पूर्व विवेचक श्री धर्मपाल सिंह को साक्ष्य के लिए न्यायालय में तलब नहीं किया है, जिनके द्वारा केस डायरी के प्रारम्भिक पर्चे किता किए गये थे।

79- विवेचक ने जिरह के पृष्ठ सं०-3 में कहा कि पीडिता ने उसको नहीं बताया कि अभियुक्त शैलेन्द्र ने उसके साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की थी? विवेचक ने घटना के तीन दिन बाद वादी द्वारा घटना स्थल दिखाने और नक्शा नजरी बनाने का कथन किया है? विवेचक ने वादी के उक्त कथन को गलत होना कहा है। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया कि उसने नक्शा नजरी में रोशनी का होना नहीं दिखाया है और वादी के मकान में गेटों की बावत कोई पूछताछ वादी से नहीं की है, क्योंकि यदि विवेचक स्वयं मौके पर जाकर नक्शा नजरी बनाता तो उसे वादी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी और वह यथास्थान पर नक्शा नजरी में दरवाजे, कमरा, बरामदा व प्रकाश का श्रोत आदि प्रदर्शित कर सकता था, जो उसने नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि विवेचक ने लापरवाही पूर्वक विवेचना सम्पादित की है।

80- राम दयाल और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, 2019(2) जे०आई०सी० 656 (इला०) में कहा है कि धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर सजा सम्भव नहीं है। वह सजा का एक मात्र आधार नहीं हो सकता, जबकि धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रमेश बनाम उ०प्र० राज्य, 2009(15) एस०सी०सी० 513 में कहा है कि मौखिक साक्षियों के बयान में मामूली तात्विक त्रुटि आना स्वाभाविक है।

81- प्रश्रुत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

82- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह

अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

83- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

84- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

85- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी दीपक, पीड़िता (एस), उसकी बहन नीलम एवं भाभी खुशबू यह साबित करने में असफल रहे हैं कि घटना दिनांक 20-02-2017 अथवा दिनांक 20-07-2017, समय रात्रि 01:00 बजे अथवा 12:00 बजे अथवा 10:00 की है। क्या घटना वास्तव में हुई और उसका वास्तविक समय व दिनांक क्या थी? इस तथ्य को साबित करने में अभियोजन साक्षी असफल रहे हैं। अभियोजन ने तथ्य के चार साक्षी, जिसमें पी०डब्लू०-1 वादी दीपक, जिसने घटना को नहीं देखा, पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एस) जिसके साथ घटना घटित होना कहा गया है, पी०डब्लू०-3 नीलम, पीड़िता की बहन एवं पी०डब्लू०-4 खुशबू, पीड़िता की भाभी को परीक्षित कराया है।

86- तथ्य के चारों साक्षियों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। सभी साक्षियों ने एक-दूसरे के कथन को झूठा कहते हुए न्यायालय में सशपथ बयान दिये हैं कि घटना स्थल पर उसके माता-पिता, भाई-भाभी, राज कुमार व उसकी पत्नी, चन्द्र शेखर व गोविन्द उपस्थित थे या

नहीं। चारो साक्षियों में से मात्र पीड़िता को ही घटना की चक्षुदर्शी होना कहा है। शेष साक्षी घटना घटित होने के उपरान्त अथवा पीड़िता से सुनी सुनाई बातों के आधार पर न्यायालय में अपना बयान अंकित कराया है। इन साक्षियों के बयान कतई विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि तथ्य के सभी साक्षियों ने एक-दूसरे के बयान को झूठा होना कहा है।

87- शेष साक्षीगण औपचारिक हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने-अपने द्वारा तैयार किये गये प्रपत्रों को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है। विवेचक द्वारा अत्यन्त लापरवाही पूर्ण विवेचना की गयी है। उसने केस का मुख्य आधार पीड़िता की आयु/शिक्षा को सुनिश्चित करने की बावत कोई भी प्रमाण पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। शैक्षिक प्रपत्र पत्रावली में कागज सं०-12 ब/1 को मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। शैक्षिक प्रपत्र होने के बावजूद पीड़िता की आयु की बावत चिकित्सीय परीक्षण क्यों व किन परिस्थितियों/आदेश से कराया, उसका उल्लेख केस डायरी में नहीं किया है।

88- बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क लिया कि अभियोजन को अपना **केस सिद्ध करने का भार** धारा-101 से 106 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं सिद्ध करना होगा। जैसा कि **मंगू सिंह बनाम धर्मेन्द्र, जे०आई०सी० 2016, पेज-631** में अवधारित किया गया है। यहाँ पर यह तथ्य उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित है, जिसमें अभियोजन को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होता है कि घटना के दिनांक को बालक/बालिका, नाबालिग था। पीड़ित बालक के नाबालिग/अवयस्क (18 वर्ष से आयु कम) साबित होने पर **सबूत का भार धारा-29, 30 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त पर अधिरोपित हो जाता है**, जैसा कि पोक्सो अधिनियम में उपबन्ध है।

89- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क लिया कि प्रस्तुत मामले में तथ्य के जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं वह हितबद्ध एवं एक ही परिवार के हैं तथा घर के अन्दर की घटना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है।

90- जहां तक तथ्य के साक्षियों के हितबद्ध होने का प्रश्न है। इस संबंध में **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6 एस०सी०सी० 433, मातीराम पाधू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3245** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि का

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 24

यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में हितबद्ध साक्षी अथवा सगे – संबंधी के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

91- विधि व्यवस्था मोबीन उर्फ नन्हें बनाम उ०प्र०राज्य (उपरोक्त) में यह कहा गया है कि – There is no rule of law that testimony of an interested or related witness should be discarded out rightly. What is required is cautious scrutiny of the oral testimony of such a witness.....

92- विधि व्यवस्था वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 2 एस०सी०सी० 9 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दोषसिद्धि का कोई आदेश अभिलिखित करने के पूर्व अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की अपेक्षा करने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है। साक्ष्य का महत्व देखा जाना चाहिए, ना कि उसकी गणना। दोषसिद्धि, अभियोक्त्री के एक मात्र परिसाक्ष्य पर आधारित की जा सकती है। यदि उसका साक्ष्य विश्वास किए जाने को प्रेरित करता है और उसकी सत्यता को कम करने के लिए परिस्थिति का अभाव है।

93- पोती मनोहर बनाम आन्ध्र प्रदेश -2012 (4) सी०सी०एस०सी० पेज-2000 सर्वोच्च न्यायालय, जैसी उर्फ जयशीलन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधि-2012(2) सी०सी०एस०सी० पेज-861 सर्वोच्च न्यायालय, अलगू पाण्डी बनाम तमिलनाडू राज्य-2012 (2) सी०सी०एस०सी० पेज-980 सर्वोच्च न्यायालय, बाबादीन उर्फ बबई बनाम उ०प्र०राज्य-2012 ए०सी०सी० पेज-786 सर्वोच्च न्यायालय, बामन बनाम महाराष्ट्र राज्य-2012(76) ए०सी०सी० पेज-603 सर्वोच्च न्यायालय आदि विधि व्यवस्थाओं में सुस्थापित किया गया है कि किसी साक्षी का साक्ष्य केवल इसी आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह या तो पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध है या शत्रुता के कारण दिया गया है या मृतक का घनिष्ठ सम्बन्धी है यदि अन्यथा उसे विश्वसनीय होने या विश्वास करने योग्य होना पाया जाता है। उक्त साक्ष्य केवल अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता से समीक्षा की ही अपेक्षा करता है जिससे न केवल दोषी ही बचकर निकल पाये और न ही निर्दोष का गलत ढंग से दोषसिद्ध किया जाता हो। यदि सावधानीपूर्ण समीक्षा पर साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं संभाव्य होना पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है और यदि उसे असंभाव्य या संदिग्ध होना पाया जाता है तो उसे नामंजूर किया जाना चाहिए।

94- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था जनरैल सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 1993 एस०सी०सी० 148 एवं

हरबंश कौर बनाम हरियाणा राज्य (2005) एस०सी०सी० 195, में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा कोई भी विधिक प्रावधान नहीं है कि मृतक के रिश्तेदारों की साक्ष्य को विश्वसनीय साक्ष्य न समझा जाये, यदि अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तर्क दिया गया है तो अभियुक्त की ओर से इस बात को साबित किया जाना चाहिए कि उक्त गवाह वास्तविक अभियुक्त को बचाना चाहते हैं और प्रश्रगत अभियुक्त को झूठा फंसाना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि परिवार के सदस्यों की मौजूदगी घटना स्थल पर स्वाभाविक है, तो उनकी साक्ष्य सिर्फ इस आधार पर नहीं नकारी जा सकती कि मृतक के रिश्तेदार हैं या जाति विशेष से संबंध रखते हैं।

95- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **हेमा बनाम राज्य, 2013 (81) ए०सी०सी० 1 (एस०सी०) (तीन जज बैंच)** एवं **सी० मुन्लाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य 2010 (6) एस०सी०जे० 822** में यह अवधारित किया गया है कि – Any irregularity or deficiency in investigation by I.O. need not necessarily lead to rejection of the case of prosecution when it is otherwise proved. A defective investigation cannot be fatal to prosecution where ocular testimony is found credible and cogent.

96- धारा-134 साक्ष्य अधिनियम एवं अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए०आई०आर० 2013 एस०सी० 286 तथा श्याम बाबू बनाम उ०प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2012 एस०सी० 3311 में कहा कि अभियोजन को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने कथानक को साबित करने के लिए अपनी सुविधा/इच्छानुसार साक्षी न्यायालय में परीक्षित करायेगी। उसे साक्षी परीक्षित कराने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। अभियोजन के लिए परीक्षित कराये गये साक्षियों की संख्या माइने नहीं रखती है, बल्कि अहम साक्षी, जो विश्वसनीय और भरोसेमन्द हो, अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित दें, भले ही उनकी संख्या कम हो, परीक्षित कराने का एकाधिकार प्राप्त है।

97- धर्मेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य, जे०आई०सी० 2019, पेज-831 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा कि अभियोजन को अपनी बात पूरी सिद्ध करनी होगी, केवल परिकल्पना के आधार पर सजा नहीं हो सकती है।

98- विधि व्यवस्था संजीव उर्फ सन्जू बनाम उ०प्र० राज्य, जे०आई०सी० 2016, पेज-416 में कहा कि साक्षियों के बयान में काफी

विरोधाभास होने पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। तथ्य के साक्षियों ने घटना कथानक को अपनी साक्ष्य से दृढ़ता के साथ साबित किया है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। साक्षियों के बयान अभिलेखन के दौरान मामूली तात्विक त्रुटियों के आधार पर, जबकि पीड़िता ने स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता से बयान दिया है, अभियुक्त को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि अभियोजन कथानक अन्य साक्ष्य से पूर्णतः साबित हो रहा हो। जैसा कि विधि व्यवस्था **चन्धारी बनाम उ०प्र० राज्य, 2022(120) ए०सी०सी०, पृष्ठ-4** में कहा गया है।

99- विधि व्यवस्था **साधु शरण सिंह बनाम उ०प्र० राज्य-2016 सी० आर०एल०जे० 1908 रामचन्द्र बनाम हरियाणा राज्य (2016) 10 एस०सी०सी० 537 एवं धारी बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई० आर० 2013 सु०को० 308** में यह अवधारित किया गया है कि यह विधि का कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक दशा में स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित ही कराये जाये। सभी साक्षी हितबद्ध पिता, पुत्री, बहन व भाभी हैं, परन्तु तथ्य के संबंध में सभी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो विश्वसनीय नहीं है।

100- पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष के वादी दीपक ने अपनी बहन/पीड़िता (एस) के साथ अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के द्वारा घर में घुस कर छेड़खानी करना कहा है। अभियोजन ने वादी, पीड़िता (एस), उसकी बहन नीलम एवं भाभी खुशबू को परीक्षित कराया है। तथ्य के चारो साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। शेष साक्षी हैड० कां० महेश कुमार, जिन्होंने मुकदमा कायमी की है और सतेन्द्र पाल सिंह, विवेचक, जिन्होंने मामले की विवेचना की है तथा डा० शशीकान्त गुप्ता, जिन्होंने पीड़िता (एस) की आयु निर्धारण की बावत एक्सरे किया है, ने अपने द्वारा निष्पादित किए गये प्रपत्रों को अपनी साक्ष्य से न्यायालय में साबित किया है, परन्तु तथ्य के साक्षियों के बयानों से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-452, 354 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उपरोक्त अपराध में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-452, 354 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम से

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 27

दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार धारा -437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 25-07-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 25-07-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010126732016



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0005668/2016

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र कुशवाहा, निवासी भौंडेला, थाना नारखी, जिला
फिरोजाबाद।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-722/2016

धारा-354 ख भा०दं०सं० व

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं

धारा-3(1)(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

:- निर्णय :-

1- थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध, मुकदमा अपराध सं०-722/2016, अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-7 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण नाबालिग पीड़िता के छेड़छाड़ करने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और

पी०एस०टी० सं०-5668/2016, राज्य बनाम प्रेमपाल, अ०सं०-722/2016, धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

Digitally signed by Vijay Kumar Azad
Date: 2024.02.08 16:31:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (के) नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादिया/पीड़िता (के) दिनांक 21-09-2016 को दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी, फिरोजाबाद में कक्षा-11 का वजीफा फार्म जमा करने आयी थी। जब वादिया/पीड़िता (के) विद्यालय से लौट रही थी, तभी रास्ते में एन०एच०-2 हाइवे से करीब 100 मीटर पहले, सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा था। जब वादिया/पीड़िता (के) उसके पास से साइकिल से गुजरी, तो उसने वादिया/पीड़िता (के) की साइकिल गिरा दी, जिससे पीड़िता (के) के घुटने में चोट लगी और गिर गयी। वह वादिया/पीड़िता (के) की छाती पकड़ कर खींचने लगा और छेड़खानी की। वादिया/पीड़िता (के) के चिल्लाने की आवाज सुनकर आने-जाने वाले लोग आ गये, जिन्होंने वादिया/पीड़िता को बचाया और उसकी पिटाई की। इसकी सूचना किसी ने वादिया/पीड़िता के विद्यालय को दे दी, तभी वादिया/पीड़िता (के) के विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षक आ गये और वादिया/पीड़िता व उसके साथ घटना करने वाले लड़के प्रेमपाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुशवाह को लोगों से बचाकर स्कूल लेकर आये और पुलिस को सूचरा दी। यह बात समय करीब 11:15 बजे दिन की है। सूचना पर वादिया/पीड़िता (के) का भाई जौनी उर्फ पंकज स्कूल में आ गया। अपने भाई व स्कूल के स्टाफ के साथ प्रेमपाल उपरोक्त को थाने लेकर आये। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- वादिया/पीड़िता की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं०-722/2016 पर अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-5 में किया।

5- मामले की विवेचना, सर्व प्रथम श्री भगवान, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, टूण्डला द्वारा की गयी, जिन्होंने दौरान विवेचना मामले से संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वादिया/पीड़िता (के), अभियुक्त प्रेमपाल एवं घटना से संबंधित अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। वादिया/पीड़िता की निशानदेही पर घटना स्थल

का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 बनाया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया।

6- अग्रिम विवेचना राजेन्द्र प्रसाद यादव, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, टूण्डला ने की, जिन्होंने पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी का अवलोकन किया। शेष गवाहों के बयान अंकित किए तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरान्त अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, आरोप पत्र प्रदर्श क-7 न्यायालय प्रेषित किया।

7- अभियुक्त प्रेमपाल को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके दिनांक 25-03-2017 को अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं०, सपठित धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, सपठित धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की प्रार्थना की।

8- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	वादिया/पीड़िता (के)	तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान अं० धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-2	पंकज कुमार (भाई)	--
पी०डब्लू०-3	श्री भगवान (प्रथम विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-4	म०कां० धर्मवती चाहर	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-5
पी०डब्लू०-5	एच.सी. रामेश्वर दीक्षित	फर्द कब्जा पुलिस लेने अभियुक्त प्रेमपाल प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-6	कैलाश प्रसाद शर्मा (सहा० अध्यापक)	गवाह कब्जा पुलिस लेने फर्द अभियुक्त प्रेमपाल प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-7	राजेन्द्र प्रसाद यादव (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क-7

पी०डब्लू०-8	यतेन्द्र कुमार (प्रधानाचार्य)	एस०आर० रजिस्टर प्रदर्श क-8, हाईस्कूल बोर्ड की क्रास लिस्ट प्रदर्श क-9, इण्टर बोर्ड की क्रास लिस्ट प्रदर्श क-10, पूर्व विद्यालय की टी०सी० प्रदर्श क-11 एवं प्रवेश फार्म प्रदर्श क-12
-------------	----------------------------------	--

9- पी०डब्लू०-1 वादिया/पीड़िता (के) ने घटना करीब साढ़े छः साल पहले की है। मैं, दीनबन्दु इण्टर कालेज, उसायनी, फिरोजाबाद में कक्षा-11 का वजीफा फार्म जमा करके लौट रही थी, तभी रास्ते में हाइवे से करीब सौ मीटर पहले सड़क के किनारे एक लड़का खड़ा था। जब मैं उसके पास से साइकिल से गुजरी तो उसने मेरी साइकिल गिरा दी, जिससे मेरे घुटने में चोट लगी और मैं गिर गई। जब मैं खड़ी हुई तो वह मेरी छाती पकड़ कर खींचने लगा और छेड़खानी की। मैं चिल्लाई तो आवाज सुनकर आने-जाने वाले लोग आ गये, जिन्होंने मुझे बचाया और प्रेमपाल की पिटाई की। जिसकी सूचना किसी ने मेरे विद्यालय को दे दी, तब मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षक आ गये और मेरे साथ घटना करने वाले प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र को लोगों से बचाकर स्कूल लेकर आये और पुलिस को सूचना दी।

10- यह बात समय करीब 11:15 बजे दिन की है। सूचना पर मेरा भाई पंकज स्कूल में आ गया। मैं, अपने भाई और स्कूल के स्टाफ के साथ प्रेमपाल को पकड़ कर थाने में ले गये। तहरीर मैंने बोल-बोल कर एक मास्टर साहब से लिखवाई थी। तहरीर मुझे पढ़कर सुनाई थी, तब मैंने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर किए थे। मैंने जो तहरीर थाने में दी थी, वह पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी और मेरी निशानदेही पर दरोगा जी ने नक्शा नजरी बनाया था।

11- पुलिस ने मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया था। गवाह को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोलकर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो कहा कि इस पर मेरा फोटो लगा है और मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं पुष्टि करती हूँ। यही बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। घटना के समय मेरी उम्र 15-16 वर्ष थी। मैं जाटव जाति की हूँ, प्रेमपाल कुशवाह जाति का है। साक्षी ने अपने सशपथ बयान से तहरीर प्रदर्श क-1 एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

12- पी०डब्लू०-1 पीड़िता (के) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

मैं, दिनांक 21-09-2016 को अपने कॉलेज से साइकिल से घर आ रही थी। वहाँ एक लड़का प्रेमपाल रोड़ पर खड़ा था। उसने मेरी साइकिल गिरा दी तथा छाती दबोची थी। मुझे पकड़ कर झाड़ी में ले जा रहा था, तो एक आदमी व एक औरत आ गये, तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा था, तो भीड़ भी इकट्ठी हो गयी थी। सबने पकड़ कर उसे मारा था। मेरे गिरने पर, मेरे चोट आयी थी, पैर में।

13- पी०डब्लू०-2 पंकज कुमार ने सशपथ बयान में कहा कि घटना दिनांक 21-09-2016 की है। मेरी बहन/पीड़िता (के) घटना के समय 16 वर्ष की थी। बहन/पीड़िता (के) घटना वाले दिन अपनी साइकिल से स्वामी दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी में वजीफा का फार्म भरने गयी थी। स्कूल से वापस घर आ रही थी कि रास्ते में एन०एच०-2 से करीब 100 मीटर पर दिनौली रोड़ पर एक लड़के प्रेमपाल ने बहन/पीड़िता (के) की साइकिल गिरा दी थी और छेड़छाड़ कर पीड़िता (के) की छाती दबा दी थी। स्कूल के स्टाफ वाले और जनता के लोगों ने प्रेमपाल को पकड़ लिया। मास्टर साहब, प्रेमपाल को पकड़ कर स्कूल ले गये थे। सूचना पर मैं भी स्कूल पहुंच गया था। पूछताछ पर उसने अपना नाम प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र कुशवाह, निवासी भौंडेला बताया था। हम लोगों ने पकड़े गये प्रेमपाल को थाना टूण्डला में सुपुर्द कर दिया। पीड़िता (के) ने थाना टूण्डला में रिपोर्ट लिखाई थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। थाने में जब प्रेमपाल को सुपुर्द किया था, तब थाने में लिखा पढ़ी की थी। उस लिखा पढ़ी पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मैं जाटव जाति का हूँ और प्रेमपाल कुशवाह जाति का है।

14- पी०डब्लू०-3 श्री भगवान, से०नि० पुलिस उपाधीक्षक/प्रथम विवेचक ने कहा है कि दिनांक 21-09-2016 को मैं, क्षेत्राधिकारी टूण्डला के पद पर तैनात था। उसी दिन मुझे अ०सं०-722/2016, धारा-354 बी भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट एवं धारा-3(1)2 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम प्रेमपाल, थाना टूण्डला की विवेचना सुपुर्द हुई थी। मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक, नकल फर्द लेने कब्जा पुलिस अभियुक्त प्रेमपाल किता किया। वादिया/पीड़िता (के) पुत्री मोहरमन सिंह जाटव,

निवासी ग्राम कुतकपुर, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० मंकां० अरूणावाला द्वारा अंकित कराकर उसको संलग्न केस डायरी किया। अभियुक्त प्रेमपाल का बयान अंकित किया। पीड़िता की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजरी मौके पर तैयार किया, जो पत्रावली में मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। साक्षी ने नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-3 को साबित किया है। पीड़िता (के) का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया था।

15- पी०डब्लू०-4 मंकां० धर्मवती चाहर ने कहा है कि मैं, दिनांक 21-09-2016 को थाना टूण्डला में बतौर सी०सी०टी० एन०एस० सी०सी० के पद पर तैनात थी। उस दिन वादिया मुकदमा/ पीड़िता (के) पुत्री मोहरमन सिंह, निवासी कुतुकपुर, जारखी, थाना टूण्डला, फिरोजाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर, बोलने पर समय 12:15 बजे मुकदमा अपराध संख्या-722/2016, धारा-354 बी भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)2 एस०सी०/ एस०टी० एक्ट बनाम प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र कुशवाह, निवासी भौंडेला, थाना नारखी, फिरोजाबाद, सी०सी० रामेश्वर दीक्षित ने कम्प्यूटर पर चिक एफ०आई०आर० टाइप की थी, जिसका खुलासा जी०डी० संख्या-24, समय 12:15 बजे, दिनांक 21-09-2016 को किया था, जो पत्रावली पर मौजूद हैं, जिन पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

16- पी०डब्लू०-5 रामेश्वर दीक्षित, से०नि० हैड कां० ने कहा है कि दिनांक 21-09-2016 को मैं, थाना टूण्डला पर बतौर कॉस्टेबल क्लर्क तैनात था। वादिया/पीड़िता (के) पुत्री मोहरमन सिंह, निवासी कुतुकपुर, जारखी, फिरोजाबाद, मय हमराही श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, श्री जुगेन्द्र पाल सिंह व श्री पंकज, मय अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र कुशवाह, निवासी भौंडेला, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद, मय एक किता तहरीर थाना उपस्थित आये। मुझ कां० क्लर्क द्वारा अपने हस्ताक्षर में फर्द लेने कब्जा पुलिस अभियुक्त प्रेमपाल अंकित की गयी। अभियुक्त प्रेमपाल को मजरूबी हालत में कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। फर्द पर मैंने वादिया के उपरोक्त हमराह व कां० रविन्द्र सिंह के हस्ताक्षर कराए थे। फर्द पत्रावली

पर उपलब्ध है, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से फर्द लेने कब्जा पुलिस अभियुक्त प्रेमपाल प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

17- पी०डब्लू०-6 कैलाश प्रसाद शर्मा ने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 21-09-2016 को मैं, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। जुगेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य भी मेरे साथ तैनात थे। उक्त दिनांक को समय 11:15 बजे मैं स्कूल में मौजूद था, तभी कालेज में सूचना आई कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा/पीड़िता (के) को हाइवे से 100 मीटर पहले, दिनौली रोड़ पर किसी मनचले लड़के ने साइकिल से गिराकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। जिस पर मैं, कालेज के प्रिंसिपल जुगेन्द्र पाल सिंह के साथ मौके पर गया था, जहाँ मनचले व्यक्ति को कुछ लोगों ने रोक रखा था। हम लोगों के पहुंचने पर वे लोग चले गये। हम लोग मनचले व्यक्ति को पकड़ कर विद्यालय में ले आये। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रेमपाल पुत्र सुभाष चन्द्र, निवासी भौंडेला, थानाए नारखी बताया। तभी छात्रा/पीड़िता (के) का भाई जोनी उर्फ पंकज आ गया। अभियुक्त प्रेमपाल को कब्जे में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसकी पुलिस ने फर्द बनाई थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे, जो पत्रावली में कागज सं०-7 अ दाखिल है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क -6 डाला जा चुका है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। घटना के संबंध में मेरा पुलिस ने बयान लिया था।

18- पी०डब्लू०-7 राजेन्द्र प्रसाद यादव , अपर पुलिस अधीक्षक/द्वितीय विवेचक ने कहा है कि मेरे क्षेत्राधिकारी, टूण्डला की नियुक्ति के दौरान मेरे पूर्व क्षेत्राधिकारी श्री भगवान सिंह के स्थानान्तरण के उपरान्त मुकदमा अपराध संख्या-722/2016, धारा-354 ख भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)2 एस०सी०/एस०टी० एक्ट की विवेचना ग्रहण की। मैंने पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया। पीड़िता (के) के बयान धारा-164 दं०प्र०सं० का अवलोकन किया। श्री जुगेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य एवं पीड़िता के भाई जोनी उर्फ पंकज के बयान अंकित किये तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा - 354 बी भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)2 एस०सी०/एस०टी० एक्ट आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से आरोप पत्र प्रदर्श

क-7 को साबित किया है।

19- पी०डब्ल्यू०-8 यतेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य ने कहा है कि मैं, वर्तमान में दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में छात्रा/पीड़िता (के) पुत्री मोहरमन सिंह ने कक्षा-9 में दिनांक 30-07-2014 को प्रवेश लिया था और दिनांक 31-03-2015 को कक्षा-9 उत्तीर्ण किया और छात्रा प्रोन्नत होकर संस्थागत छात्रा के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से, अनुक्रमांक-88381 से हाईस्कूल वर्ष 2016 में उत्तीर्ण किया था। उसके बाद छात्रा/पीड़िता (के) ने हमारे विद्यालय से ही कक्षा-11 उत्तीर्ण किया और कक्षा-12 की परीक्षा वर्ष 2018 में संस्थागत छात्रा के रूप में अनुक्रमांक सं०-71252 दी, जो कि इण्टरमीडिएट परीक्षा में फेल हो गयी थी और विद्यालय से निकल गयी थी।

20- मेरे विद्यालय के अभिलेखों एस०आर० के क्रमांक संख्या-14615 पर पीड़िता (के) का नाम दर्ज है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 25-07-2000 दर्ज है तथा बोर्ड की कक्षा-10 वीं की क्रास लिस्ट में भी छात्रा की जन्मतिथि 25-07-2000 अंकित है। पूर्व विद्यालय, उच्च प्रा०वि०, कुतुकपुर, जारखी, फिरोजाबाद की कक्षा-8 पास की टी०सी० है, प्रवेश के समय हमारे विद्यालय में दाखिल की थी। उसमें भी पीड़िता (के) की उपरोक्त जन्मतिथि ही अंकित है। आज मैं विद्यालय का एस०आर०, बोर्ड की हाईस्कूल व इण्टर की क्रास लिस्ट, पूर्व विद्यालय की टी०सी० व प्रवेश फार्म मूल रूप से साथ लेकर आया हूँ व उक्त प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से पीड़िता (के) से संबंधित एस०आर० रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदर्श क-8, हाईस्कूल बोर्ड की क्रास लिस्ट प्रदर्श क-9, इण्टर की बोर्ड की क्रास लिस्ट प्रदर्श क-10, पूर्व विद्यालय की टी०सी० प्रदर्श क-11 व प्रवेश फार्म प्रदर्श क-12, को साबित किया है।

21- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

22- अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 24-01-2024 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। समस्त गवाहन द्वारा गलत/झूठा बयान देना तथा वादी के प्रभाव में गलत प्रपत्र साबित करना कहा है। अभियुक्त मुकदमा झूठा चलना कहा है।

23- विशेष कथन में अभियुक्त ने कहा है कि पीड़िता (के) साइकिल से गिर गई थी। मैंने साइकिल उठाई और पीड़िता (के) को

जेठ भरके उठाया, क्योंकि वह वजन में ज्यादा थी। मेरा नाम पहले नहीं लिया, बाद में घर वालों के कहने पर मेरा नाम बताने लगी। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

24- अभियुक्त द्वारा अपने बयान में सफाई साक्ष्य देने कहा, परन्तु किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया और ना ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया है।

25- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव शर्मा एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर गुप्ता, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

26- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

27- धारा-354 ख भारतीय दण्ड संहिता - विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग- ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि **तीन वर्ष से कम की नहीं** होगी, किन्तु जो **सात वर्ष तक की हो सकेगी**, दण्डित किया जाएगा और **जुमाने से** भी दंडनीय होगा।

28- धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - **लैंगिक हमला** - जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

29- धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - **लैंगिक हमले के लिए दंड** - जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष से कम की नहीं** होगी किन्तु जो **पाँच वर्ष तक की हो सकेगी** और **जुमाने से** भी दंडनीय होगा।

30- धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट - जो कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला के साथ अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **छः मास से कम की नहीं** होगी, किन्तु जो **पाँच वर्ष तक की हो सकेगी** और **जुमाने से**, दण्डनीय होगा।

-: निष्कर्ष :-

31- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

32- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त प्रेमपाल की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के

दृष्टिगत किया जाना है।

33- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

34- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

35- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनो के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

36- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

37- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्चा सं० -1 लगायत 3 श्रीभगवान, क्षेत्राधिकारी, टूण्डला द्वारा किता किये गये हैं, जिनमें उन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए पीड़िता (के) का बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 द०प्र०सं० एवं घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया। स्थानान्तरण उपरान्त श्री आर०पी० यादव, क्षेत्राधिकारी टूण्डला द्वारा अग्रिम विवेचना केस डायरी के पर्चा सं० -4 लगायत 7 दिनांकित 31-10-2016 से समाप्त करते हुए अभियुक्त प्रेम पाल के विरुद्ध आरोपत्र न्यायालय दाखिल किया।

38- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

39- धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था नबी बनाम उ०प्र० राज्य-1999 (2) क्राइस 272 में यह अवधारित किया है कि धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन का प्रयोग मात्र धारा 145 व धारा 157 साक्ष्य विधि के अन्तर्गत साक्षी के कथन को सम्पुष्ट करने एवं उसके कथन को खण्डित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

-: आयु निर्धारण :-

40- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2000 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह

व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

41- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

42- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

43- यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले की वादिया, स्वयं पीड़िता (के) है, जिसने घटना के उपरान्त थाने पर तहरीर प्रदर्श क-1 से मुकदमा दर्ज कराते हुए घटना के समय अपनी उम्र अथवा जन्मतिथि का उल्लेख तहरीर में नहीं किया है। पीड़िता (के) ने कक्षा-11 में, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी में पढ़ना कहा है। पीड़िता (के) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र/जन्मतिथि नहीं बताई है, परन्तु बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष होना कहा है। पीड़िता (के) ने न्यायालय में दिये बयान में घटना के समय अपनी उम्र 15-16 वर्ष होना कहा है।

44- पीड़िता (के) ने जिरह में कहा कि मैंने कक्षा-9 से लेकर कक्षा-12 तक की पढ़ाई की थी। मैं अपने घर से स्कूल पढ़ने 3 कि०मी० रोज जाती थी। अभियुक्त प्रेमपाल ने पीड़िता (के) की आयु/

जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रश्न जिरह में नहीं पूछा है।

45- पी०डब्लू०-2 पंकज कुमार, पीड़िता (के) का भाई है, जिसने घटना के समय अपनी बहन की उम्र 16 वर्ष बताई है। इस साक्षी से प्रेमपाल द्वारा जिरह न करने के कारण जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

46- पी०डब्लू०-3 श्री भगवान, प्रथम विवेचक ने जिरह में कहा कि पीड़िता (के) की उम्र का आधार मैंने ना तो मेडीकल के आधार पर और ना ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर, आकलन किया है। पीड़िता (के) के घर वालों के बताने के आधार पर ही पीड़िता (के) की उम्र का आकलन किया था। जिरह के पृष्ठ सं०-3 के अन्त में कहा कि पीड़िता (के) कक्षा-11 में पढ़ती थी। यह कहना गलत है कि पीड़िता (के) घटना के समय बालिग हो।

47- पी०डब्लू०-7 राजेन्द्र प्रसाद यादव, द्वितीय विवेचक ने आरोप पत्र प्रदर्शक-7 दाखिल करते हुए जिरह में कहा कि मुझसे पूर्वाधिकारी ने हाईस्कूल के शैक्षिक प्रपत्रों के आधार पर पीड़िता (के) को नाबालिग माना।

48- पी०डब्लू०-8 यतेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी ने कहा कि पीड़िता (के) ने हमारे विद्यालय में दिनांक 03-07-2014 को कक्षा-9 में प्रवेश लिया था और प्रोन्नत होकर संस्थागत छात्रा के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद् बोर्ड से अनुक्रमांक-88381 से हाईस्कूल की परीक्षा वर्ष 2016 में उत्तीर्ण की, उसके बाद कक्षा-11 उत्तीर्ण की। कक्षा-12 की परीक्षा वर्ष 2018 में संस्थागत छात्रा के रूप में अनुक्रमांक-71252 था, जिसमें छात्रा फेल हो गयी और विद्यालय से निकल गयी। विद्यालय अभिलेखों - एस०आर० रजिस्टर में पीड़िता (के) का नाम क्रम सं०-14615 पर अंकित है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 25-07-2000 दर्ज है। हाईस्कूल बोर्ड की 10 वीं की क्रास लिस्ट/सारणीयन पंजिका में छात्रा की जन्मतिथि 25-07-2000 अंकित है। पूर्व विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुतुकपुर, जारखी, फिरोजाबाद कक्षा-8 की टी०सी० है, जो प्रवेश के समय हमारे विद्यालय में दाखिल की थी, उसमें भी पीड़िता (के) की जन्मतिथि 25-07-2000 अंकित है। साक्षी ने एस०आर० रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदर्शक-8, हाईस्कूल की क्रास लिस्ट प्रदर्शक-9, इण्टरमीडिएट की क्रास लिस्ट प्रदर्शक-10, पूर्व विद्यालय की टी०सी० प्रदर्शक-11 व प्रवेश फार्म पर प्रदर्शक-12, को साबित किया है।

49- जिरह में कहा कि पीड़िता (के) वर्ष 2018 में इण्टर की परीक्षा में फेल हो गयी थी। साक्षी ने अभियुक्त प्रेमपाल के इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने छात्रा की जन्मतिथि गलत अंकित की हो और वह घटना के समय बालिग रही हो।

50- अभियुक्त प्रेमपाल ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में वादिया/पीड़िता (के) की उम्र 15-16 वर्ष एवं भाई पंकज द्वारा पीड़िता (के) की उम्र 16 वर्ष, गलत होना कहा है। यतेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य द्वारा पीड़िता (के) के शैक्षिक प्रपत्रों को साबित करने की बावत कोई कथन नहीं किया है। विशेष कथन में भी पीड़िता (के) की आयु/जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। सफाई साक्ष्य देना कहा, परन्तु पीड़िता (के) की आयु/ जन्मतिथि के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया और कोई बचाव साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

51- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

52- आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

53- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

54- वादिया/पीड़िता (के) ने घटना के समय, तहरीर एवं धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है, परन्तु बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 16 वर्ष बताई है। पीड़िता (के) के भाई पंकज ने भी पीड़िता (के) की उम्र 16 वर्ष बताई है। पी०डब्लू०-8 यतेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य ने यह साबित किया है कि पीड़िता (के) ने उनके विद्यालय में कक्षा-9 से 12 तक शिक्षा प्राप्त की, कक्षा-12 में फेल हो गयी थी। विद्यालय के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में पीड़िता (के) की जन्मतिथि 25-07-2000 अंकित है।

55- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं तथ्य के साक्षियों अनुसार पीड़िता (के) की उम्र घटना दिनांक 21-09-2016 को 16 वर्ष थी, जबकि शैक्षिक प्रपत्रों, हाईस्कूल वर्ष 2016 में अंकित जन्मतिथि दिनांक 25-07-2000, के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष, 01 माह, 26 दिन होती है। तथ्य एवं औपचारिक साक्षियों के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। पीड़िता (के) की आयु/जन्मतिथि संबंधित शैक्षिक अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य में कोई विरोधाभास न होने पर यह तथ्य पूर्णतः स्थापित है कि पीड़िता (के) घटना के समय नाबालिग थी। अभियुक्त प्रेमपाल ने घटना के समय पीड़िता (के) की आयु/जन्मतिथि के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि पीड़िता (के) घटना दिनांक 21-09-2016 को बालिग थी। विवेचक को पीड़िता (के) की आयु/जन्मतिथि दिनांक 25-07-2000 शैक्षिक प्रपत्रों से साबित होने के कारण, घटना के समय पीड़िता (के) के नाबालिग होने की बावत् कोई अंदेशा नहीं था, इसी कारण विवेचक ने पीड़िता (के) का आयु निर्धारण की बावत् चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया है।

56- उपरोक्त विवेचन अनुसार घटना दिनांक 21-09-2016 को पीड़िता (के) की आयु/जन्मतिथि दिनांक 25-07-2000 के अनुसार, प्रस्तुत मामले में पीड़िता (के) की आयु 16 वर्ष, 01 माह, 26 दिन निर्धारित की जाती है।

-: आरोपित अपराध का विवेचन :-

57- वादिया/पीड़िता (के) ने तहरीर प्रदर्श क-1 में घटना दिनांक 21-09-2016 को, जब वह कक्षा-11 का वजीफा फार्म, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी, फिरोजाबाद में जमा करके वापस लौट रही थी, तभी एन०एच०-2 हाइवे से 100 मीटर पहले सड़क किनारे एक लड़का खड़ा था। जब मैं उसके पास से, साइकिल से गुजरी तो उसने साइकिल गिरा दी, जिससे मेरे घुटने में चोट आ गई और वह मेरी छाती पकड़ कर खींचने लगा और मुझसे छेड़खानी की। मेरे चिल्लाने पर आने-जाने वाले लोग आ गये और उन्होंने मुझे बचाया और उसकी पिटाई की। सूचना पर मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षक आ गये और अभियुक्त प्रेमपाल को, लोगों से बचाकर विद्यालय में ले आए और पुलिस को सूचना दी। घटना करीब 11:15 बजे सुबह की है। सूचना पर मेरा भाई पंकज उर्फ जोनी भी स्कूल में आ गया। मेरा भाई व स्कूल का स्टाफ, प्रेमपाल को मेरे साथ लेकर थाने आये हैं। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें।

58- पीड़िता (के) ने तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान धारा-161 दं०प्र०सं० व धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 तथा न्यायालय में दिये बयान में घटना का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि मैं जाटव जाति की हूँ और प्रेमपाल कुशवाह जाति का है। पीड़िता (के) ने जिरह में कहा कि घटना का दिनांक और महीना मुझे याद नहीं है। मैं साइकिल से, वजीफा फार्म जमा करके अकेली आ रही थी। मैं, प्रेमपाल को पहले से नहीं जानती थी और ना उसको देखा था, ना ही उसका नाम जानती थी। वह साइकिल पर नहीं था, सड़क पर खड़ा था। लड़के ने पैर मारकर मेरी साइकिल गिरा दी थी। मैं अलग गिरी और साइकिल अलग गिरी। जिन लोगों ने मेरी साइकिल उठाई थी, उन्हीं लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की थी, उनके नाम मैं नहीं जानती, वह रास्तागीर थे। विद्यालय सूचना पहुंचाने वालों का नाम मैं नहीं बता सकती। पीड़िता (के) ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरी साइकिल में पैर मारकर साइकिल न गिराई हो और अपने माता-पिता के कहने पर झूठा मुकदमा लिखाया हो।

59- पी०डब्लू०-2 पंकज ने पीड़िता (के) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रेमपाल ने मेरी बहन/पीड़िता (के) जो स्कूल से वजीफा फार्म जमा करके वापस आ रही थी, की साइकिल गिरा दी और छेड़छाड़ कर पीड़िता (के) की छाती दबा दी थी। स्कूल के

स्टाफ वाले व जनता ने प्रेमपाल को पकड़ा और हम लोगों ने उसे थाना टूण्डला में सुपुर्द कर दिया। मैं, जाटव जाति का हूँ और प्रेमपाल, कुशवाह जाति का है। अभियुक्त द्वारा साक्षी पंकज से जिरह न करने के कारण, जिरह का अवसर समाप्त किया गया, लेकिन साक्षी पंकज की मुख्य परीक्षा, अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा जिरह न करने के कारण अखण्डित रही, ऐसी स्थिति में, घटना के संबंध में पंकज का सम्पूर्ण कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

60- पी०डब्लू०-3 श्री भगवान, प्रथम विवेचक ने केवल पीड़िता (के) का बयान लिया और नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 को साबित किया। उसके बाद उनका स्थानान्तरण हो गया।

61- पी०डब्लू०-4 महिला कां० धर्मवती चाहर ने लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर दिनांक 21-09-2016 को 12:15 बजे मु०अ०सं०-722/2016, अन्तर्गत धारा-354 बी भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में प्रेमपाल के विरुद्ध चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क-4 एवं जी०डी० नं०-24 पर मुकदमा कायमी प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

62- धर्मवती ने जिरह में कहा कि एफ०आई०आर० दर्ज कराने पीड़िता (के) अपने भाई पंकज व अन्य व्यक्तियों के साथ तहरीर लिखकर लाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि हमने एफ०आई०आर० स्कूल के शिक्षकों व पीड़िता (के) के दबाव में लिखी हो।

63- पी०डब्लू०-5 रामेश्वर दीक्षित घटना के समय थाना टूण्डला पर सी०सी० के पद पर तैनात था। रामेश्वर ने कहा कि दिनांक 21-09-2016 को पीड़िता (के), मय हमराही श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, श्री जोगेन्द्र पाल सिंह व पंकज के साथ, अभियुक्त प्रेमपाल, मय एक किता तहरीर थाने पर उपस्थित आये और मुझ कां० द्वारा अपने हस्तलेख में फर्द लेने कब्जा पुलिस अभियुक्त प्रेमपाल अंकित की गयी। अभियुक्त प्रेमपाल को मजरुबी हालत में कब्जा पुलिस लिया गया था। फर्द पर मेरे व उपरोक्त लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसे प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से अभियुक्त प्रेमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियुक्त प्रेमपाल को मजरुबी हालत में कब्जा पुलिस लेने की फर्द प्रदर्श क-6 की बावत कोई जिरह नहीं की गयी। इस कारण साक्षी की मुख्य परीक्षा, अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा जिरह न करने के कारण अखण्डित रही, ऐसी स्थिति में, घटना के संबंध में साक्षी का सम्पूर्ण

कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

64- पी०डब्लू०-6 कैलाश प्रसाद शर्मा, सहायक अध्यापक, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी ने अपने बयान में कहा कि वह दिनांक 21-09-2016 को 11:15 बजे स्कूल में मौजूद था, तभी सूचना आई थी कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा पीड़िता (के) से किसी मनचले लड़के ने साइकिल गिराकर छेड़छाड़ कर दी है। मैं, कॉलेज के प्रिन्सीपल जोगेन्द्र पाल सिंह के साथ मौके पर पहुंचा, वहाँ कुछ लोगों ने मनचले को रोक रखा था। हम लोग उसे पकड़ कर विद्यालय ले आये और वो लोग वहाँ से चले गये। पूछताछ में उसने अपना नाम, पता बताया था। पंकज के आने पर प्रेमपाल को कब्जे में लेकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उसकी फर्द प्रदर्श क-6 बनाई, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

65- साक्षी कैलाश से, अभियुक्त प्रेमपाल को पर्याप्त जिरह का अवसर उपलब्ध होने के बावजूद उसने साक्षी से जिरह नहीं की, इस कारण उसकी जिरह का अवसर समाप्त किया गया। इस कारण साक्षी की मुख्य परीक्षा, अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा जिरह न करने के कारण अखण्डित रही, ऐसी स्थिति में, घटना के संबंध में साक्षी का सम्पूर्ण कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

66- पी०डब्लू०-7 राजेन्द्र प्रसाद यादव, द्वितीय विवेचक ने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क-6 दाखिल किया और जिरह में कहा कि घटना के समय पीड़िता (के) का भाई एवं प्रधानाचार्य, दोनों मौजूद नहीं थे, बाद में आये थे। सूचना के आधार पर प्रधानाचार्य और उसके भाई घटना स्थल पर गये थे, परन्तु उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखा। दोनों व्यक्तियों ने यह भी नहीं बताया कि प्रेमपाल मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है।

67- अभियुक्त प्रेमपाल ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में घटना को गलत होना कहा। पीड़िता (के) एवं पंकज द्वारा गलत बयान देना कहा। विवेचकों द्वारा गलत विवेचना करके नक्शा नजरी और वादिया के प्रभाव में गलत आरोप पत्र दाखिल करना कहा। रामेश्वर एवं कैलाश द्वारा गलत प्रपत्र साबित करके गलत गवाही देना कहा। गवाहों द्वारा झूठी साक्ष्य और झूठा मुकदमा करना कहा। अभियुक्त प्रेमपाल ने कहा कि पीड़िता (के) साइकिल से गिर गयी थी। मैंने साइकिल उठाई। पीड़िता (के) को उठाया ज्येठ भरके, क्योंकि वह वजन में ज्यादा थी। मेरा नाम घर वालों के कहने पर बाद में बताने लगी। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

68- पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, ए.आई.आर. 1996(2) एस.सी 384 में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यौन उत्पीड़न, लज्जाभंग इत्यादि अन्तर्वलित करने वाले मामलों में न्यायालय को अत्यंत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होती है किसी पीड़िता के कथन में गौण विरोधाभास या अमहत्वपूर्ण विसंगतियाँ, विश्वसनीय अभियोजन पक्षकथन को व्यक्त करने के लिए आधार नहीं होना चाहिए। यौन हमले की आहत पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और यह किसी संपुष्टि की अपेक्षा नहीं करती जब तक कि संपुष्टि की ईप्सा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हो।

69- धारा-134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। राज नरायण बनाम उ०प्र० राज्य 2009 (67) ACC-288, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर, 2011 (72) SCC 519, अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2013 सुप्रीम कोर्ट 286, बृजेश उर्फ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 (100) ए०सी०सी० 803 (खण्डपीठ) एवं उ०प्र० राज्य बनाम गिरीशपाल-2017 (100) ए०सी०सी० 353, में यह कहा गया है कि किसी मामले को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अतः यदि एक ही साक्षी है तथा वह पूर्णतः विश्वसनीयता एवं प्रभावोत्पादक है, तब उसके बयान मात्र पर ही दोषसिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार आवश्यकता यह है कि जो साक्षी परीक्षित कराए गये हो, वह पूर्णतः विश्वसनीय हों। यहाँ पर यह भी अंकित किया जाना समीचीन है कि केवल पीड़ित/जख्मी व्यक्ति का बयान ही अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। चाहे अन्य साक्षियों का समर्थन मिले या न मिले।

70- इमरतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य-1987 क्रि.लॉ०ज०-557 (म० प्र०) में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अभियोजिका के साक्ष्य को सम्पुष्टि के बिना भी दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है बशर्ते कि उसका साक्ष्य विश्वास योग्य है। जहाँ अभियोजिका के साक्ष्य के समर्थन में डाक्टरी साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट या इस प्रकार के अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं दोषसिद्धि उचित होगी। सम्पुष्टि विधि का नियम नहीं है वरन् यह प्रज्ञा का नियम है।

71- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091 में कहा है कि तुच्छ प्रकृति की असंगति, सुधार एवं लोप अभियोजन मामले की

विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्त्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। अभियोजन साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्त्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। तात्त्विक त्रुटि सुधार एवं लोप अभियोजन मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे अभियोजन मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए।

72- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम राज्य एन०सी०टी० ऑफ दिल्ली, ए०आई०आर० 2017 एस०सी० 2161 पूर्णपीठ (Full bench) में अवधारित किया गया है कि-

“If there are no material discrepancies or contradiction in testimony of witnesses, his evidence cannot be disbelieved merely on the basis of some normal, natural or minor contradiction, inconsistencies, exaggerations, embellishments etc. The distinction between material discrepancies and normal discrepancies do not corrode the credibility of party's case but material discrepancies do so.”

73- अवतार सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा AIR 2013 SC 286 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि एक भी साक्षी द्वारा घटना को साबित कर दिया जाता है और उस साक्षी की सूचिता खण्डित नहीं होती है, तो उस एक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

74- वादिया/पीड़िता (के) ने तहरीर प्रदर्शक-1 को अपनी साक्ष्य से सम्पुष्ट किया है, जिसका समर्थन तथ्य के अन्य साक्षी पंकज कुमार एवं कैलाश प्रसाद शर्मा, सहायक अध्यापक ने भी किया है। अभियुक्त ने साक्षीगण पंकज, रामेश्वर दीक्षित एवं कैलाश प्रसाद शर्मा से जिरह नहीं की। उक्त साक्षीगण से जिरह का अवसर समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनः उक्त साक्षीगण से जिरह किए जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति से उक्त साक्षीगण द्वारा दी गयी मुख्य परीक्षा आकाट्य है, जिसका खण्डन अभियुक्त प्रेमपाल ने जिरह से नहीं किया है। अतः उक्त साक्षीगण की मुख्य परीक्षा साक्ष्य में ग्राह्य है।

75- पीड़िता (के), पंकज, एच०सी० रामेश्वर दीक्षित एवं कैलाश प्रसाद शर्मा, सहायक अध्यापक ने अपनी साक्ष्य से साबित

किया है कि जब प्रेमपाल को लोगों द्वारा पकड़ा गया तो पीड़िता (के) के साथ लैंगिक हमला/छेड़छाड़ करने के कारण उसके साथ मारपीट की, जिससे वह चुटैल हो गया। चुटैल अभियुक्त प्रेमपाल को कब्जा पुलिस में लेने का इन्द्राज, कब्जा पुलिस लेने फर्द प्रदर्शक-6 में स्वयं कैलाश ने अपने हस्तलेख में अंकित किया है। इन सबके विपरीत अभियुक्त प्रेमपाल ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में स्वयं स्वीकार किया कि मैंने पीड़िता (के) को ज्येठ भरकर उठाया, क्योंकि वह वजन में ज्यादा थी। यह स्वयं प्रेमपाल की स्वीकारोक्ति है।

76- पीड़िता (के) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह जाटव, अनुसूचित जाति की है, जबकि अभियुक्त प्रेमपाल, कुशवाहा जाति का है। कुशवाहा जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के कारण, अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। पीड़िता (के) जाटव, अनुसूचित जाति की महिला नहीं है, इस तथ्य को साबित करने का भार, धारा-29 व 30 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं अभियुक्त पर है, जिसे अभियुक्त प्रेमपाल विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है।

77- चूँकि पीड़िता (के) नाबालिग घटना दिनांक 21-09-2016 को लगभग 16 वर्ष (16 वर्ष, 01 माह, 26 दिन) की शैक्षिक प्रपत्रों से नाबालिग साबित है। इसके विपरीत अभियुक्त प्रेमपाल अपने ऊपर भारित, सबूत का भार, अन्तर्गत धारा 29 व धारा 30 पोक्सो अधिनियम में, नाबालिग पीड़िता (के) जाटव, अनुसूचित जाति के साथ अपराध किया जाना और उसकी अपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है।

78- उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन पक्ष, अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रेमपाल उपरोक्त अपराध में दोष सिद्ध किए जाने योग्य है।

79- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क लिया है कि प्रस्तुत मामले में मात्र वादिया स्वयं पीड़िता (के) और अपने भाई पंकज कुमार, को परीक्षित कराया है, जो हितबद्ध साक्षी हैं। अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

80- जहां तक तथ्य के साक्षियों के हितबद्ध होने का प्रश्न है। इस संबंध में **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6**

एस०सी०सी० 433, मातीराम पाधू बनाम महाराष्ट्र राज्य , ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3245 तथा गणपति बनाम तमिलनाडु राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 1835 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि का यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में हितबद्ध साक्षी अथवा सगे-संबंधी के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

81- विधि व्यवस्था मोबीन उर्फ नन्हें बनाम उ०प्र०राज्य (उपरोक्त) में यह कहा गया है कि - There is no rule of law that testimony of an in trusted or related witness should be discarded out rightly. What is required is cautious scrutiny of the oral testimony of such a witness.....

82- विधि व्यवस्था साधुशरण सिंह बनाम उ०प्र० राज्य- 2016 सी० आर०एल०जे० 1908 रामचन्द्र बनाम हरियाणा राज्य (2016) 10 एस०सी०सी० 537 एवं धारी बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई० आर० 2013 सु०को० 308 में यह अवधारित किया गया है कि यह विधि का कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक दशा में स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित ही कराये जाये।

83- मनोदत्त व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. जो क्रिमिनल अपील नं० 77 सन 2007, निर्णीत दिनांक 21 फरवरी 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि घटना में चुटैल गवाह के साक्ष्य को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि घटना में आयी चोटें इस गवाह की इस आशय की गारंटी देती है कि वह घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित था और वह यह नहीं चाहेगा कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति बिना किसी सजा के छूट जाये तथा वह यह भी नहीं चाहेगा कि वह किसी तीसरे निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाये। पीड़ित/चुटैल गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना चाहिए, अगर कोई अन्य सन्देहपूर्ण परिस्थितियां साक्ष्य में नहीं है।

84- पोती मनोहर बनाम आन्ध्र प्रदेश 2012 (4) सी०सी० एस०सी० पेज-2000 सर्वोच्च न्यायालय, जैसी उर्फ जयशीलन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधि-2012(2) सी०सी०एस०सी० पेज-861 सर्वोच्च न्यायालय, अलगू पाण्डी बनाम तमिलनाडू राज्य- 2012 (2) सी०सी०एस०सी० पेज-980 सर्वोच्च न्यायालय, बाबादीन उर्फ बबई बनाम उ०प्र०राज्य-2012 ए०सी०सी० पेज-786 सर्वोच्च न्यायालय, बामन बनाम महाराष्ट्र राज्य-2012(76) ए०सी०सी०

पेज-603 सर्वोच्च न्यायालय आदि विधि व्यवस्थाओं में सुस्थापित किया गया है कि किसी साक्षी का साक्ष्य केवल इसी आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह या तो पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध है या शत्रुता के कारण दिया गया है या मृतक का घनिष्ठ सम्बन्धी है यदि अन्यथा उसे विश्वसनीय होने या विश्वास करने योग्य होना पाया जाता है। उक्त साक्ष्य केवल अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता से समीक्षा की ही अपेक्षा करता है जिससे न केवल दोषी ही बचकर निकल पाये और न ही निर्दोष का गलत ढंग से दोषसिद्ध किया जाता हो। यदि सावधानीपूर्ण समीक्षा पर साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं संभाव्य होना पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है और यदि उसे असंभाव्य या संदिग्ध होना पाया जाता है तो उसे नामंजूर किया जाना चाहिए।

85- माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरबंश कौर बनाम हरियाणा राज्य (2005) एस०सी०सी० 195 एवं राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम, ए०आई०आर०. 1999 सुप्रीम कोर्ट 1776 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि परिवार के सदस्यों की मौजूदगी घटना स्थल पर स्वाभाविक है तो उनकी साक्ष्य सिर्फ इस आधार पर नहीं नकारी जा सकती कि मृतक/पीड़िता के रिश्तेदार हैं, एक ही परिवार से हैं। यदि घटना मृतक/पीड़िता के घर के पास या घर के अन्दर हुई है तो ऐसी परिस्थिति, उक्त साक्षियों की साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भले ही एक ही परिवार के या आपस में रिश्तेदार क्यों ना हों।

86- माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि बनाम राज्य, 2004 (50) ए०सी०सी०, 217 सुप्रीम कोर्ट में यह प्रतिपादित किया है कि एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह का साक्ष्य सिर्फ इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता है कि वह मृतक/पीड़िता का रिश्तेदार है।

87- प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 21-09-2016, दिन के 11:15 बजे की है। पीड़िता (के) के साथ घटना को घटते हुए रास्तागीरों ने देखा और उन्हीं ने अभियुक्त प्रेमपाल के साथ मारपीट करके उसे स्कूल के स्टाफ को सौंप दिया था, जो उसे अपने साथ विद्यालय में ले गये, जहाँ वादिया का भाई पंकज भी आ गया, फिर सभी लोग प्रेमपाल को लेकर थाने में गये और मुकदमा दर्ज कराया। अभियुक्त प्रेमपाल को राहगीरों द्वारा पकड़ा गया था, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादी पक्ष ने इसको झूठा फंसा कर, झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि अभियुक्त ने पीड़ित पक्ष से कोई दुश्मनी या रंजिश होना बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में नहीं कहा है। घटना की आहत एवं चश्मदीद साक्षी पीड़िता (के) एवं अन्य साक्षियों ने घटना को अपनी

साक्ष्य से सम्पुष्ट किया है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसार हितबद्ध साक्षी होने मात्र से, साक्षी की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होगी, जब तक कि अभियुक्त उसे अन्यथा साबित न कर दे। अतः अभियुक्त का तर्क बलहीन है।

88- अभियुक्त प्रेमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया कि प्रेमपाल मानसिक रूप से विकसित है और वह अपराध की गम्भीरता को नहीं समझता है और विकसित होने के कारण उससे उक्त अपराध कारित हो गया है।

89- अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त प्रेमपाल के मानसिक रूप से विकसित होने के संबंध में कोई कथन अपनी गवाही में नहीं किए हैं। द्वितीय विवेचक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने अपनी जिरह में स्वयं कहा है कि पीड़िता (के) और उसके भाई पंकज ने उन्हें नहीं बताया कि अभियुक्त प्रेमपाल मानसिक रूप से विकसित है। इस तथ्य को प्रथमतः साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त प्रेमपाल पर था। अभियुक्त प्रेमपाल ने पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण दवा, इलाज के पर्चे आदि दाखिल नहीं किए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त प्रेमपाल का मानसिक सन्तुलन सही न होने के कारण उसका इलाज किसी डाक्टर या अस्पताल में चल रहा है। किसी डाक्टर ने भी यह प्रमाणित नहीं किया है कि प्रेमपाल मानसिक रूप से विकसित है। अभियुक्त प्रेमपाल को अपनी सफाई साक्ष्य में यह पर्याप्त अवसर था कि वह स्वयं के मानसिक रूप से विकसित होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्रावली में दाखिल करता या उक्त के समर्थन में किसी साक्षी को गवाही में परीक्षित कराता। अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा कारित किये गये अपराध की गम्भीरता और शस्ति से बचने के लिए मानसिक रूप से विकसित कोई आधार नहीं है, जब तक कि उसे समर्थित साक्ष्य से प्रमाणित न कर दिया जाये। अभियुक्त प्रेमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं और ना ही जिला कारागार में उससे मुलाकात करने आ रहे हैं। केवल इस तथ्य के आधार पर अभियुक्त के प्रति कोई भी नरम रूख अपनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अभियुक्त का यह तर्क बलहीन होने के कारण खण्डित किया जाता है।

90- अभियोजन साक्षी, वादिया/पीड़िता (के), जो घटना की आहत व चश्मदीद साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य से तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 को साबित किया है। प्रथम विवेचक श्री भगवान, क्षेत्राधिकारी, टूण्डला ने मामले की विवेचना करते हुए नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 को अपनी साक्ष्य से साबित

किया है। थाना टूण्डला पर मुकदमा दर्ज करने की शिनाख्त महिला कां० धर्मवती चाहर ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं मुकदमा कायमी जी०डी० सं०-24, दिनांकित 21-09-2016, समय 12:15 बजे, प्रदर्श क-5 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि घटना के एक घण्टे के अन्दर तत्काल मुकदमा थाना टूण्डला पर अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध दर्ज करा दिया गया है।

91- अभियोजन साक्षियों ने यह भी साबित किया कि अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा पीड़िता (के) के साथ उसकी छाती पकड़ कर खींचने और छेड़खानी करने पर, पीड़िता (के) के चिल्लाने पर रास्तागीर आ गये, उन्होंने अभियुक्त प्रेमपाल को पकड़ कर मारपीट की। मजरूब प्रेमपाल को थाने में स्कूल के स्टाफ एवं वादिया/पीड़िता (के) के भाई पंकज, पीड़िता (के) के साथ लेकर थाने में आये। इस तथ्य को हैड कां० रामेश्वर दीक्षित एवं कैलाश प्रसाद शर्मा, सहायक अध्यापक ने फर्द कब्जा पुलिस लेने अभियुक्त प्रेमपाल प्रदर्श क-6 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। द्वितीय विवेचक राजेन्द्र प्रसाद यादव ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होने के उपरान्त धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श क-7 न्यायालय में दाखिल करके अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

92- यतेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, दीनबन्धु इण्टर कालेज, उसायनी, टूण्डला, जिला फिरोजाबाद ने पीड़िता (के) के शैक्षिक प्रपत्र-एस०आर० रजिस्टर प्रदर्श क-8, हाईस्कूल बोर्ड की क्रास लिस्ट/सारणीयन पंजिका प्रदर्श क-9, इण्टरमीडिएट बोर्ड की क्रास लिस्ट/सारणीयन पंजिका प्रदर्श क-10, पूर्व विद्यालय की टी०सी० प्रदर्श क-11 एवं प्रवेश फार्म प्रदर्श क-12 तथा पीड़िता (के) की हाईस्कूल मार्कशीट, जिसमें पीड़िता (के) की जन्मतिथि दिनांक 25-07-2000 अंकित है, को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। उक्त तथ्यों के अनुसार पीड़िता (के) घटना दिनांक 21-09-2016 को मात्र 16 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की नाबालिग थी। अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा नाबालिग पीड़िता (के) के विरुद्ध आरोपित अपराध को पूर्णतः संदेह से परे साबित किया है।

93- अभियुक्त प्रेमपाल ने पीड़िता (के), जो घटना के समय लगभग 16 वर्ष की अवयस्क है, के साथ लैंगिक हमला/छेड़छाड़ जैसा घृणित अपराध किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज (Anti

social) एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध (Anti woman Crime) है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, अभियुक्त प्रेमपाल के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रेमपाल को अपराध अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट एवं धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, में दोषसिद्ध किया जाता है।

94- अभियुक्त प्रेमपाल जिला कारागार में निरुद्ध है। उसको दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

दिनांक: 06-02-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के समय अभियुक्त प्रेमपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सजा के प्रश्न पर सुनने से पूर्व अभियुक्त की मानसिक चिकित्सालय, जिला कारागार, फिरोजाबाद से आख्या तलब करने के बाद ही निर्णय व आदेश, सजा के संबंध में पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थनापत्र के हाशिए पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह पृष्ठांकन किया गया कि प्रश्नगत मुकदमे में निर्णय पारित हो चुका है। सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु एक दिन का समय प्रदान करने की कृपा करें। आख्या जेल से तलब की गई है, जो कल दिनांक 07-02-2024 तक आ जाएगी।

आदेश

सुना। अभियुक्त प्रेमपाल को जिला कारागार, फिरोजाबाद से प्रस्तुत मामले में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कोर्ट मोहरीर श्री सत्यवीर सिंह, दिनांक 07-02-2024 को तलब कर न्यायालय के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। प्रार्थनापत्र तद्रुसार निस्तारित।

दिनांक: 06-02-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

दिनांक 07-02-2024

अभियुक्त प्रेमपाल न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय में हाजिर है। दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्त प्रेमपाल का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। उसका पहले से ही उपचार चल रहा था। उसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी जिला कारागार, फिरोजाबाद से आ चुकी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्त प्रेमपाल के साथी ने बताया कि अभियुक्त को रात्रि में नींद नहीं आती है, तो उसे नींद की गोली दी जाती है, तब अभियुक्त सोता है। अभियुक्त चार तारीखों में जिला जेल चिकित्सालय, फिरोजाबाद में उपचार हेतु गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अभियुक्त के घर परिवार के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं और न अभियुक्त के मुकदमा में पैरवी कर रहे हैं, ना ही अधिवक्ता से सम्पर्क कर रहे हैं। अभियुक्त प्रेमपाल बहुत गरीब है तथा उसका यह प्रथम अपराध है। उसे प्रस्तुत मामले में गलत फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड एवं कम से कम जुर्माना दिये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तारीके से निष्पक्ष आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा पीड़िता (के) के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे के कारण उसकी छवि समाज में खराब हो चुकी है और उसका घर से निकलना दूभर हो गया है। अभियोजन द्वारा यह भी कहा गया कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की मानसिक स्थिति ठीक न होने के संबंध में दण्डादेश के स्तर पर प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो उन्हें पहले से ही देना चाहिए था। उक्त प्रार्थनापत्र पर जिला कारागार, फिरोजाबाद से रिपोर्ट आई है कि अभियुक्त का स्वास्थ्य सन्तोषजनक है। अभियुक्त कहीं भी भर्ती नहीं रहा है। यदि अभियुक्त का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता तो उसे अवश्य ही मानसिक चिकित्सालय, बरेली अथवा आगरा में भर्ती कराया जाता। यदि अभियुक्त को रियायत दी गयी तो उसके द्वारा पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव शर्मा एवं कोर्ट मोहरीर श्री सत्यवीर सिंह द्वारा, पूछने पर बताया गया कि अभियुक्त प्रेमपाल प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पूर्व और जमानत के उपरान्त वारण्ट होने पर, 02 वर्ष, 05 माह, 08 दिन जिला कारागार में निरूद्ध है।

पत्रावली अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रेमपाल मानसिक रूप से विकसित है या इससे पूर्व भी उसका कभी इलाज किसी मानसिक या मनोचिकित्सक के डाक्टर से कराया हो, इस संबंध में कोई भी दवा अथवा इलाज का पर्चा पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान भी अभियुक्त प्रेमपाल की मानसिक विकसितता के संबंध में तर्क लिया था, जिसका विधिनुसार निस्तारण निर्णय/आदेश में किया जा चुका है। आज भी न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त प्रेमपाल मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जबकि कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद से अभियुक्त प्रेमपाल की बीमारी अथवा उपचार के संबंध में आख्या तलब की गयी थी, जिस पर अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद से यह आख्या प्राप्त हुई है कि अभियुक्त प्रेमपाल का मानसिक रोग विशेषज्ञ से उपचार कराया जा रहा है, परन्तु वर्तमान समय में उसका स्वास्थ्य सन्तोषजनक है। अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद द्वारा अपनी आख्या में यह अंकित नहीं किया गया है कि अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा जिला कारागार में उपताप कारित किया गया हो या लड़ाई, झगड़ा, दंगा आदि करता हो। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, न्यायालय के मत में निम्न दण्डादेश से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

धारा-42 पोक्सो एक्ट 2012- आनुकल्पिक दण्ड- जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 क, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 370, धारा 370 क, धारा 375, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 डं. या धारा 509 के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुत्तर है।

अभियुक्त प्रेमपाल को अपराध अन्तर्गत धारा-354 ख भा०दं०सं० के स्थान पर, धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-

3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति हो सकती है।

आदेश

अभियुक्त प्रेमपाल को धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता (के) के साथ लैंगिक हमला कारित करने के कारण **पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 5,000/- अर्थदण्ड** से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त प्रेमपाल को धारा-3(1)(2) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत **पाँच वर्ष के कारावास एवं रूपया 5,000/- अर्थदण्ड** से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त कारावास से, दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त प्रेमपाल की उपरोक्त सजायें साथ-साथ चलेंगी।

अभियुक्त प्रेमपाल द्वारा प्रस्तुत मामले में, पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त प्रेमपाल का दोषसिद्ध वारण्ट श्री सत्यवीर सिंह, कोर्ट मोहरीर तत्काल बनाकर जिला कारागार, फिरोजाबाद दाखिल करना सुनिश्चित करें।

धारा-4(3) उपधारा (1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अधिरोपित जुमाने की सम्पूर्ण धनराशि 10,000/- रु० (रूपये दस हजार) पीड़िता (के) के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति हेतु पीड़िता को दी जायेगी।

धारा 9(5) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के अनुसार विशेष न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश/निर्णय की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार (जिलाधिकारी, फिरोजाबाद) मुआवजे का भुगतान कराने हेतु प्रेषित की जाये।

अभियुक्त प्रेमपाल को इस निर्णय की प्रति **निःशुल्क** अविलम्ब प्राप्त कराई जाये।

उ०प्र० किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) 2019, नियम 54(21)(i) के अन्तर्गत बालक/संरक्षक को **निर्णय की सूचना** फौजदारी लिपिक तत्काल देना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की प्रति, आदेश अनुपालन एवं पीड़ित पक्ष को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु **सचिव, जिला विधिक सेवा**

प्राधिकरण, फिरोजाबाद को तत्काल प्रेषित की जाए।

दिनांक: 07-02-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय/दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 07-02-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।